परिणाम बजट

2016-17

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ सं
	कार्यकारी सारांश	3-6
I	उद्देश्य, लक्ष्य एवं नीति संबंधी विवरण	7-8
II	वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय परिव्यय एवं भौतिक लक्ष्य	9-19
III	नीतिगत पहल	20-22
IV	विगत निष्पादन की समीक्षा	23-32
V	वित्तीय समीक्षा	33
VI	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं स्वायत्तशासी संस्थान	34-39
	अनुबंध - I परिव्यय और परिणामी बजट/लक्ष्यों पर टिप्पणी	40-53
	अनुबंध - II योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 2013-14 और 2014-15	54-62

कार्यकारी सारांश

रसायन उद्योग, बढ़ते भारतीय उद्योग का एक अभिन्न अंग है । इसमें मूल रसायन एवं इसके उत्पाद, पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेंट्स एवं वार्निश, गैस, साबुन, परफ्यूम एंव टॉयलेटरीज और औषध शामिल हैं । यह उद्योग सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे अधिक विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जिसमें हजारों वाणिज्यिक उत्पाद शामिल हैं ।

पेट्रोरसायन जिसमें प्लास्टिक एवं अन्य रसायन शामिल हैं, पेट्रोरसायन को हाइड्रोकार्बन का डाउनस्ट्रीम उत्पाद कहा जाता है और ये कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं । ये हाइड्रोकार्बन बहूमूल्य संसाधन हैं और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री इनसे प्राप्त होती है । डाउनस्ट्रीम पेट्रोरसायन उत्पाद हमारे दैनिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए हैं । पेट्रोरसायन श्रृंखला में मूल्य संवर्द्धन संभावना के नए द्वार खोलता है और जरूरत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे वस्त्र एवं परिधान, कृषि, पैकिंग, अवसंरचना, स्वास्थ्य देखरेख, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली, इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसंचार, सिंचाई, पेय जल, निर्माण एवं अन्य उपयोगी क्षेत्रों में तथा विशेष उपयोग के उभरते क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है ।

रसायन सेक्टर में तीन पीएसयूज, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. (एचआईएल) तथा हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.(एचएफएल) हैं जोकि एचओसीएल की सहायक कंपनी है और पेट्रोरसायन क्षेत्र में एक पीएसयू अर्थात ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) हैं । इस विभाग के अधीन सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) और इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) नामक स्वायत्त संस्थान हैं ।

विभाग, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एवं उसके बाद महत्वाकांक्षी आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान कई उल्लेखनीय परियोजनाएँ/योजनाएँ शुरू करने का प्रस्ताव करता है । उनमें से कुछ का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

I. <u>पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर):</u>

पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति की संकल्पना है कि पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्र को समेकित व पर्यावरण अनुकूल एकाग्रता अप्रोच के माध्यम से बड़े पैमाने पर संवर्द्धित करना है ।

वर्तमान में, चार तटीय राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडीसा एवं तमिलनाडू में पीसीपीआईआर की स्थापना की जा रही है । आंध्र प्रदेश व गुजरात के पीसीपीआईआर प्रस्तावों को फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया गया था जबकि ओडिसा व तमिलनाडू के प्रस्तावों को क्रमशः दिसम्बर, 2010 तथा जुलाई, 2012 में अनुमोदित किया गया । नवीनतम समझौता ज्ञापन तमिलनाडू सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षरित किया गया है । 31.12.2015 तक इन क्षेत्रों में लगभग 1,60,600 करोड़ रु. के मूल्य का निवेश हो चुका है ।

II. **<u>असम गैस क्रैकर परियोजना :</u>**

केंद्र सरकार, अखिल असम छात्र यूनियन (आसू) और अखिल असम गण परिषद **(**एएजीपी**)** के बीच 15 अगस्त**,** 1985 को समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसरण में असम गैस क्रैकर परियोजना शुरू की गई थी । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 18 अप्रैल**,** 2006 को आयोजित अपनी बैठक में 5460.61 करोड़ रु. की परियोजना लागत पर असम गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना को अनुमोदित कर दिया था । संयुक्त उद्यम कंपनी**,** नामत**:** मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है । तथापि**,** विभिन्न कारणों से परियोजना के समय एवं लागत में वृद्धि हुई । आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने 16 नवंबर**,** 2011 को 8920 करोड़ रु. ('यथा निर्माण आधार' पर) के संशोधित लागत अनुमान को अनुमोदित किया ।

समय बढ़ने, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव, मूल्य वृद्धि**,** सांविधिक प्रशुल्क आदि में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लागत और समय में अधिक वृद्धि हुई है और अत**:** बीसीपीएल में 8920 करोड़ रु. की अनुमोदित परियोजना लागत की तुलना में 9965 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत का प्रस्ताव किया है । संशोधित परियोजना लागत का अनुमान दिसंबर**,** 2015 तक पूर्ण रूप से प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय-सीमाओं के आधार पर लगाया गया है । 1045 करोड़ रु. की परियोजना लागत में अनुमानित वृद्धि का प्रस्ताव 549.45 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी**,** 148.67 करोड़ रु. की इक्विटी और 346.88 करोड़ रु. के ऋण द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है ।

इसके अतिरिक्त, परियोजना को आर्थिक रूप से संभाव्य बनाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के के प्राकृतिक गैस पर फीडस्टॉक सब्सिडी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन का प्रस्ताव भी किया है जिसमें 10% के रिटर्न की न्यूनतम दर को बनाए रखने के लिए संयंत्र प्रचालन के 15 वर्ष के लिए वार्षिक समीक्षा और 26 करोड़ रु. की राजस्व सब्सिडी शामिल है ताकि प्रारंभिक एक वर्ष के दौरान नकदी की कमी को वित्तपोषित किया जा सके । इस प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

एजीसीपी 2 जनवरी, 2016 को शुरू हो चुका है और बीसीपीएल परिसर लपेटकाटा, डिब्रूगढ़ में 5 फरवरी, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया । यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं असम राज्य के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे डाउनस्ट्रीम उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने और आय बढ़ने की संभावना है ।

III. <u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</u>

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायनों/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में 12 दिसम्बर, 1960 को विनिगमित किया गया था जो रंजक, रंजक-मध्यवर्तियों, रबड़ रसायनों, पेस्टिसाइड्स, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं । कंपनी की दो विनिर्माण इकाइयां हैं जो रसायनी (महाराष्ट्र) और कोच्चि (केरल) में स्थित हैं । रसायनी यूनिट(रसायन परिसर) ने 1970-71 से उत्पादन शुरू किया था और कोच्चि यूनिट (फिनॉल कॉम्प्लेक्स) ने 1987-88 से उत्पादन करना प्रारंभ किया था । एचओसीएल द्वारा निर्मित मुख्य उत्पादों में कोच्चि यूनिट में फिनाल, एसीटोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और रसायनी यूनिट में एनीलीन, नाइट्रोबेंजीन, फार्मेलडिहाइड, सांद्रिक नाइट्रिक एसिड और डाइ-नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड (N_2O_4) शामिल हैं । एचओसीएल भारत में तरल राकेट उड़ान N_2O_4 का एकमात्र विनिर्माता है जो कार्यक्रम को लांच करने वाले उपग्रह के लिए इसरो को आपूर्ति करता है ।

एचओसीएल की मै. हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी है जो रूद्रराम, मेडक, तेलंगाना में स्थित है ।

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है, जोकि 14.07.1983 को विनिगमित की गई थी । इसकी फैक्ट्री रूद्रराम, मेडक जिला, तेलांगना में अवस्थित है । कंपनी ने वर्ष 1987 में उत्पादन शुरू किया था और कंपनी पॉली-टेट्रा फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) एवं क्लोरो-डाई-फ्लूरो मिथेन (CFM-22) के विनिर्माण में संलग्न है । पीटीएफई का रसायन, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रानिक उद्योग में बहुतायत में इस्तेमाल होता है और रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक अनुप्रयोग है । CFM-22 का उपयोग एक रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में और पीटीएफई के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है ।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड **(**एचआईएल**)** को डीडीटी (डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन) के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए मार्च, 1954 में विनिगमित किया गया था । 1957 में कंपनी ने डीडीटी के विनिर्माण के लिए एक फैक्ट्री उद्योगमंडल**,** केरल में स्थापित की और 1977 में रसायनी**,** महाराष्ट्र में मेलाथियान जो जन स्वास्थ्य हेतु कीटनाशक है**,** के विनिर्माण हेतु एक संयंत्र स्थापित किया । आज एचआईएल की तृतीय विनिर्माण इकाई पंजाब के भंटिडा में 2003 में स्थापित की गई । रसायनी और उद्योगमंडल संयंत्रों दोनों में डीडीटी विनिर्माण और कृषि रसायन विनिर्माण सुविधाएं हैं जबकि भटिंडा में केवल फॉर्मूलेशन के विनिर्माण और पैकेजिंग की सुविधा है । एचआईएल की सभी यूनिटों में आज एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन (सभी आईएसओ प्रमाणपत्र का संयोजन) विद्यमान है । भारत भर में कंपनी के 7 क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैं और इसके उत्पादों को बाजार में बेचने और वितरण का एक व्यापक नेटवर्क है ।

iv. <u>ई-शासन :</u>

सरकार की ई-शासन की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यालय स्वचलीकरण को बढ़ाने और पारदर्शिता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस विभाग में कार्यालय पद्धति स्वचलीकरण (ओपीए) प्रणाली, वेतन बिल एवं जीपीएफ आदि के लिए व्यापक डीडीओ पैकेज, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफटीएस) एवं लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (पीजीआरएएमएस) क्रियान्वित की गई है । ई-प्रोक्योरमेंट से संबंधित भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा जारी सभी नोटिस, निविदा आमंत्रण सूचनाओं, को विभाग के बेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ।

v. <u>निगरानी :</u>

परिणामी बजट लक्ष्यों की गहन निगरानी विभाग के स्तर पर की जा रही है । वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर बजट पूर्व चर्चाओं के जरिए वित्त मंत्रालय द्वारा छमाही पुनरीक्षा भी की जाती है ।

***

अध्याय - I

उद्देश्य, लक्ष्य और नीति-संबंधी विवरण

1.1 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग का उद्देश्य है;

i. देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना; एवं
ii. उद्योग के उपरोक्त वर्णित सेक्टरों के चतुर्दिक विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का माहौल बनाना ।

1.2 विभाग के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

i. पेट्रोरसायन क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्यात को संवर्द्धित करने के लिए चार पीसीपीआईआर का विकास ।
ii. असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) 2 जनवरी, 2016 को शुरू हो चुका है 5 फरवरी, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया ।
iii. कुशलता विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) को सुदृढ़ करना ।
iv. इस क्षेत्र में क्लस्टर एप्रोच के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सवर्द्धित करने के लिए प्लास्टिक पार्कों की स्थापना ।

1.3 रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों के लाइसेंस मुक्त एवं विनियमित प्रकृति को देखते हुए, योजनागत स्कीमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र निवेश की संभावना सीमित हैं । सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों को जारी राशि के अतिरिक्त क्रियान्वित प्रमुख योजनागत स्कीमों में असम गैस क्रैकर परियोजना शामिल है ।

1.4 विभाग के चार प्रमुख प्रभाग - रसायन, पेट्रोरसायन, योजना एवं मूल्यांकन (पीएंडई) तथा सांख्यिकीय एवं निगरानी (एसएंडएम) हैं, जो इसकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं । आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफ) मंत्रालय के तीनों विभागों के लिए एक है ।

राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति :

1.5 भारतीय पेट्रोरसायन सेक्टर में विशाल निवेश आकर्षित करके और तेजी से आगे बढ़कर विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त करने की क्षमता है । सरकार ने वर्ष 2007 में राष्ट्रीय पेट्रोरसायन नीति का अनुमोदन किया जिसका लक्ष्य अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा देना, प्रमुख क्षेत्रों में पेट्रोरसायन के उपयोग में वृद्धि करना, पेट्रोरसायन सेक्टर के उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, पुन:चक्रीकरण के नवीन तरीकों को अपनाकर और बायो-डिग्रेडेबल पॉलीमर और प्लास्टिक के विकास के माध्यम से पर्यावरण संबंधी सतत विकास प्राप्त करना है ।

महिलाओं/बच्चों व अनुसूचित जाति/जनजाति को लाभ पहुँचाने वाली योजनाएं :

1.6 विभागीय बजट में महिलाओं, बच्चों और/या अ.जा./अ.ज.जा. को लाभ पहुंचाने वाली किसी योजना का अंश नहीं है । विभाग को एससीएसपी (स्पेशल कंपोनेंट सब प्लान) एवं टीएसपी (ट्राइबल सब प्लान) के अधीन योजना परिव्यय चिन्हित करने से छूट प्राप्त है । तथापि, विभाग के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाएँ महिलाओं व अ.जा./अ.ज.जा. को लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों में संलग्न हैं । उद्यमिता व कुशलता विकास के संबंध में पेशेवर कला प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सीपेट अ.जा./अ.ज.जा. व महिला उम्मीदवारों को लाभ पहुँचा रहा है । यह तरीका प्रतिभागियों में समुचित आत्म विश्वास पैदा करने में सफल रहा है और इससे वे प्रचालन स्तर पर उद्योग में कार्य करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं या अपनी आजीविका के लिए अति लघु या कुटीर स्तर का उद्योग शुरू कर सकते हैं । इस प्रकार, ये कार्यक्रम रोजगार और स्वरोजगार सृजित करने में मददगार साबित हो रहे हैं । ये कार्यक्रम स्वसहायता समूह के विकास पर जोर देकर एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्यशक्ति सृजित करके महिलाओं को लाभान्वित कर रहे हैं । इससे बडी संख्या में महिलाएं और अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं और वर्ष 2016-17 में भी यह कार्यक्रम जारी रहेंगे ।

***

अध्याय - II

बजट अनुमान का विवरण (एसबीई) 2016-17 के लिए वित्तीय परिव्यय और भौतिक लक्ष्य

2.1 वर्ष 2016-17 के लिए बजट में योजना एवं गैर-योजना प्रावधानों के अधीन वित्तीय परिव्यव्य और वर्ष के लिए भौतिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में विवरण अनुबंध-I में संलग्न है ।

<u>बजट अनुमान 2015-16 गैर-योजना :</u>

2.2 वर्ष के लिए बजट अनुमान गैर योजना के लिए 42.04 करोड़ रूपये अनुमोदित किए गए थे जिसमे 42.01 करोड़ रूपये का राजस्व बजट एवं 0.01 करोड़ रूपये का पीएसयू को पूंजीगत ऋण (टोकन प्रावधान) शामिल हैं । राजस्व के अधीन प्रावधान विभाग के सचिवालय व्यय (ख़ास तौर पर आईटी गतिविधियों के लिए), भोपाल गैस पीडितो को मुआवजा (अनुग्रह राशि) के भुगतान के लिए कल्याण आयुक्त कार्यालय के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ़ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) के लिए हैं।

<u>बजट अनुमान 2016-17 योजना :</u>

2.3 वर्ष 2016-17 के लिए विभाग की वार्षिक कार्य योजना के लिए 160 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता अनुमोदित की गई है । योजना की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं :

<u>बजट अनुमान का विवरण (एसबीई) :</u>

क्र. सं.	**योजना/कार्यक्रम**	**2014-15**	**2015-16**			**2016-17**
		व्यय	**ब.अनु.**	**सं.अनु.**	**12.02.2016 तक व्यय**	**ब.अनु.**
I	**पीएसयू को परियोजना आधारित सहयोग**	**31.80**	**32.00**	**15.00**	**0.00**	**40.00**
1.1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	0.00	17.00	0.00	0.00	25.00
1.2	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	15.00	10.00	10.00	0.00	15.00

1.3	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	16.80	5.00	5.00	0.00	0.00
II	**स्वायत्त निकायों को सहायता**	**102.53**	**93.68**	**108.68**	**108.68**	**65.99**
2.1	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफॅ प्लास्टिक इन्जीनियरिगं एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	100.85	92.68	107.68	107.68	57.67
2.2	इन्सटीट्यूट आफॅ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी (आईपीएफटी)	1.68	1.00	1.00	1.00	8.32
III	**अन्य जारी परियोजनाएं**	**17.05**	**62.32**	**18.21**	**8.16**	**54.01**
3.1	असम गैस क्रैकर योजना+	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
3.2	केमिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	3.53	1.90	3.90	2.52	5.00
3.3	रसायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी)	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00
3.4	आईटी/सचिवालय	0.48	1.00	0.80	0.49	0.00
3.5	पेट्रोरसायन की अन्य नई योजनाएं	12.17	58.41	12.50	8.84	48.00
	कुल	**151.38**	**188.00**	**141.89**	**121.53**	**160.00**

<u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:</u>

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

2.4 वर्ष 2015-16 के दौरान, योजनागत ऋण के रूप में 17 करोड़ रूपये का प्रावधान एचओसीएल के लिए प्लांट एवं मशीनरी के नवीकरण के लिए रखा गया था । तथापि, इस प्रावधान को 2015-16 के अनुपूरक अनुदान मांग के पहले बैच में अभ्यर्पित कर दिया गया था । एचओसीएल चूककर्ता कंपनी होने के कारण बीआईएफआर द्वारा इसकी पुनर्वास योजना को अनुमोदित नहीं किया गया, इसलिए 17 करोड़ रूपये की बजट अनुमान के स्तर पर आवंटित राशि को अभ्यर्पित कर दी गई । अतः संसद के माध्यम से तकनीकी अनुपूरक प्राप्त करने के लिए इसे अभ्यर्पित किया गया ।

2.5 वर्ष 2016-17 के लिए, 25 करोड़ रूपये की योजनागत बजटीय सहयोग कम्पनी के लिए अनंतिम रूप से दिया गया है । तथपि, कम्पनी की ख़राब वित्तीय स्थिति को देखते हुए लंबित सरकारी ऋण/ब्याज एवं बाजार से लिए गए ऋण पर भारत सरकार की गारंटी पर वार्षिक व्याज बकायों के पुनर्भुगतान क्षमता की शर्त पर यह प्रावधान किया जाएगा ।

हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

2.6 विभाग के 2015-16 के बजट में एचएफएल के लिए 5 करोड़ रूपये का योजनागत ऋण का प्रावधान रखा गया था । उक्त योजनागत ऋण से रुद्रराम में कंपनी के फैक्ट्री परिसर में 800 केवी सोलर विद्युत संयत्र की स्थापना का प्रस्ताव कंपनी से प्राप्त हुआ था । तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.02.2016 के का. ज्ञा. के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए, यह प्रदान किया गया है कि समान्य तथा भारत सरकार से सीपीएसयू को निवेश और कार्यकारी पूंजी ऋणों की विंडो एततद्वारा बंद है और सीपीएसयू को बैंको और मार्किट से ऋण लेना चाहिए, एक निर्णय लिया गया है कि विभाग एचएफएल की 5 करोड़ रु. के योजना ऋण को जारी करने की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए ।

2.7 वर्ष 2016-17 के दौरान एचएफएल के लिए कोई योजनागत बजटीय सहायता का प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)

2.8 एचआईएल को डीडीटी से संबंधित भुगतान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विलम्ब होने के कारण तरलता की कमी से जूझ रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान प्लांट एवं मशीनरी के उन्नयन के लिए एचआईएल को योजनागत ऋण के रूप में बजटीय सहायता 10 करोड़ रु. का आवंटन किया गया । रसायनी इकाई में फंगीसाइड (हेक्साकॉन्जोल एवं टेबूकोन्जोल) के निर्माण के लिए बहूउत्पाद सुविधा की स्थापना के लिए उक्त योजनागत ऋण जारी करने हेतु कंपनी से प्राप्त प्रस्ताव प्रकियाधीन है । बहूउत्पाद सुविधा की स्थापना से कंपनी कृषि रसायन व्यापार आगे विविधिकरण करने में सक्षम होगी और कंपनी की डीडीटी राजस्व पर निर्भरता कम होगी ।

2.9 वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी के पूंजीगत परियोजनाओं एवं प्लांट एवं मशीनरी के उन्न्यन के लिए विभाग के बजट में 15 करोड़ रु. का अनंतिम आवंटन रखा गया है ।

<u>स्वायत्त संस्थान/संगठन</u>

<u>सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिगं एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)</u>:

2.9 केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है । प्लास्टिक और इससे जुड़े उद्योगों के विकास के लिए शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी सहायता और अनुसंधान

(एटीआर) संबंधी क्रियाकलापों के प्रति समर्पित एक आईएसओ 9001 : 2008 क्यूएमएस, एनएबीएल, आईएसओ/आईईसी 17020 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थान है । सिपेट के देश भर में फैले 28 केन्द्र हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- चेन्नई/मुख्यालय, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ एवं कोच्चि में 5 उच्च शिक्षण केन्द्र।
- 13 अन्य शिक्षण केन्द्र अमृतसर,औरंगाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, हाजीपुर, हल्दिया, जयपुर, इम्फाल, मैसूर, रायपुर, एमसीटीआई कैम्पस भुवनेश्वर एवं मूरथल ।
- 2 आरएंडी विंग एडवांस रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिम्यूलेशन (एआरएसटीपीएस), चेन्नई, लेबोरेटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलिमेरिक मेटेरियल (एलएआरपीएम), भुवनेश्वर ।
- 2 विशेष इकाई - एडवांस टूलिंग एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (एटीपीडीसी), मदुरई, एडवांस प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सेंटर (एपीपीटीसी), बालासोर ।
- 4 वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्र - बड्डी, विजयवाड़ा, भोपाल एवं मेडक ।
- 1 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्र - गुवाहाटी ।
- 1 पॉलीमर डाटा सर्विस केन्द्र (पीडीएस) : गुड़गांव ।

2.10 देश में पॉलिमर एवं सहयोगी उद्योग की जरुरतों को पूरा करने के लिए सिपेट के सभी केन्द्र डिजाइन, कैड/कैम/सीईएई, टूलिंग एवं मोल्ड विनिर्माण, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं ।

2.11 सिपेट के शैक्षणिक कार्यक्रम पॉलिमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टोरल, पोस्ट ग्रैजुएट, अंडर ग्रैजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्तर के साथ साथ रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि पॉलिमर एवं सहयोगी उद्योग में मानव संसाधन की जरुरत पूरी हो सके । 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिपेट ने 1,16,638 छात्रों को विभिन्न दीर्घ अवधि एवं अल्पकालिक कार्यक्रमों एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षित किया है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2,20,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

2.12 ख्यातिप्राप्त राज्य विश्वविद्यालय के साथ गठबंधन/सहयोग से उच्च शिक्षण केन्द्रों में अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट एवं डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रदान किये जाते हैं । वर्ष 2013-14 के दौरान 11,494 छात्रों को दीर्घकालिक कार्यक्रम में नामांकित किया गया था और वर्ष 2014-15 के दौरान, 12,629 छात्रों का नामांकन किया गया जो कि गत वर्ष की तुलना में 10% अधिक है । दीर्घकालिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान अत्यंत विशेषीकृत एवं आवश्यकता अनुकूल अल्पावधि कार्यक्रम प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आयोजित करता है ताकि प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग में तकनीकी जनशक्ति की कुशलता और सक्षमता अद्यतन बनी

रहे । वर्ष 2013-14 में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 28,498 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष 2014-15 के दौरान, सिपेट 30,281 प्रतिभागी लाभान्वित हुए । सिपेट 80,000 प्रतिभागियों को दीर्घावधि एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के जरिये प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

2.13 सिपेट विभिन सरकारी विभागों/एजेंसियों जैसे डोनर मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अजा/अजजा. विभाग, अल्पसंख्यक विभाग आदि द्वारा प्रायोजित प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभिन प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है ताकि भारत के बेरोजगार/अर्द्धबेरोजगार को लाभ मिल सके ।

2.14 सिपेट डिज़ाइन, टूलींग, प्रोसेसिंग, परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में देश एवं विदेश में प्रौद्योगिकी सहयोग सेवाएं प्रदान करता है । सिपेट का जैव-अपघटीय परीक्षण सुविधा देश में अपने तरह का पहला केंद्र है और यह यूरोपियन बायो-प्लास्टिक एवं अंतर्राष्ट्रीय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट संस्थान के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है ।

2.15 अनुसंधान एवं विकास में आगे बढ़ने के उद्देश्य से सिपेट ने दो एक्सक्लूसिव आरएंडडी विंग्स चेन्नई एवं भुवनेश्वर में स्थापित किया है । एडवान्स्ड रिसर्च स्कूल फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट सिम्युलेशन - एआरएसटीपीएस, चेन्नई ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, मेडिकल एवं पैकेजिंग उद्योग के लिए नवाचार उत्पाद डिज़ाइन, उत्पाद एवं टूल डिज़ाइन कॉन्सेप्टुआलाइज़ेशन, प्रोटोटाइप्स का ई-विनिर्माण, लीड टाइम में कमी के लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग, धातु प्रतिस्थापना के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमिकल एप्रोच के क्षेत्र में कार्य करता है । लेबोरटरी फॉर एडवांस रिसर्च इन पॉलीमेरिक मेटेरियल (एलएआरपीएम), भुनेश्वर बायोपॉलीमर, ई-वेस्ट पुनःचर्क्रण, पॉलिमर कम्पोज़िट्स एवं नैनो कम्पोसिट्स, ब्लेंड्स एवं एलॉय के चरित्र निर्धारण एवं फ्यूल सेल्स के क्षेत्र में काम करता है । आरएंडडी विंग का मुख्य लक्ष्य उद्योग, भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालय के साथ आरएंडडी परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करके कार्यशील प्रोटोटाइप्स का विकास, इजीनियरिंग समस्याओं का समाधान ढूंढना, पदार्थों, संरचना एवं मैकेनिकल सिस्टम के व्यवहार का माइक्रो विश्लेषण आयोजित करना है ।

2.16 सिपेट ने कई अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ फैकल्टी एवं छात्र विनिमय कार्यक्रम के लिए, द्विपक्षीय आरएंडडी पहल और सहयोगी अनुसंधान परियोजना पर काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है । सिपेट ने भारत के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय प्लास्टिक संघों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया है और प्लास्ट इण्डिया फाउंडेशन का संस्थापक सदस्य है ।

2.17 देश में प्लास्टिक उद्योग की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिपेट ने 2011-2022 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय कौशल विकास पहल के रूप में 6.20 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है । 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2014-15 के दौरान सिपेट ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 42,910 व्यक्तियों की तुलना में 48,162 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है ।

2.18 सिपेट के लिए दीर्घावधि एवं नई योजनागत स्कीमों के लिए वर्ष 2015-16 में 107.68 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है । सिपेट के केन्द्रों के विस्तार के लिए सिविल एवं तकनीकी अवसंरचना प्रदान करने, नए एवं मौजूदा शैक्षणिक एवं कुशलता विकास कार्यक्रमों में छात्रों के नामांकन संख्या को बढ़ाने तथा छात्रावास सुविधाओं के सृजन, प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग को तकनीकी सहयोग सेवा प्रदान करने के लिए सिपेट की क्षमता को सुदृढ़ करने, पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक प्रौद्योगिकी को संवर्द्धित करने के लिए कोच्चि स्थित सेंटर फॉर बायोपॉलीमर सांइस एवं टेक्नोलॉजी (सीबीपीएसटी) की स्थापना एवं अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवंटन किया गया है । इससे सृजित अवसंरचना वर्ष 2015-16 के दौरान दीर्घावधि एवं अल्पावधि पाठ्यक्रमों के जरिए कुशलता विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा । वर्ष 2016-17 के दौरान, सिपेट को 12वीं योजना अवधि में परिकल्पित स्कीमों के क्रियान्वयन को जारी रखने के लिए 57.67 करोड़ रु. (ब.अ. में) की राशि आवंटित की गई है ।

<u>इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) :</u>

2.19 गुड़गाव, हरियाणा में अवस्थित कीटनाशक सूत्रयोग प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत मई, 1991 से एक पंजीकृत सोसाइटी है । आईपीएफटी का लक्ष्य, अत्याधुनिक उपयोगकर्ता और पर्यावरण अनुकूल न्यू जेनरेशन कीटनाशक सूत्रयोग प्रौद्योगिकी के विकास करना है, जो नए फॉर्मूलेशनों के लिए नई जरूरतों को पूरा कर सके । संस्थान ने भारतीय कृषि रसायन उद्योगों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया है और सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल फॉमूलेशन्स के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है । आईपीएफटी के चार प्रमुख कार्यशील प्रभाग हैं जैसे फॉर्मूलेशनटेक्नोलॉजी डिवीजन, एनालीटिकल साइंस डिवीजन, बायोसाइंस डिवीजन एवं पायलट प्लांट डिवीजन । आईपीएफटी घरेलू और बाह्य आरं एंड डी परियोजनाओं को निष्पादित करता है । संस्थान इस हाउस बाह्य परियोजना दोनों पर कार्य करता है ।

2.20 आईपीएफटी कीटनाशकों एवं उनके फॉर्मूलेशनों का विश्लेषण, खाद्य सामग्री में पेस्टीसाइड्स अवशेष एवं सीडब्ल्यूसी से संबंधित रसायनों के विश्लेषण के लिए आईएसओ -

17025 (2005) के अनुसार नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरट्रीस (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बना रहा । आईपीएफटी ने जैव-प्रभाविकता, फाइटोटॉक्सिसीटी एवं रेसिडिव एनेलिसिस संबंधी परियोजनाओं के लिए उद्योग से रिकॉर्ड संख्या में ऑर्डर प्राप्त किए । आईपीएफटी ने साझा अनुसंधान कार्य के लिए हाइयर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, यूनीवर्सिटी ऑफ लोम, टैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ सीडीए, क्रिस बायोटेक, कल्याणी एवं बायोटेक इंटरनेशनल के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ।

2.21 आईपीएफटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिकल केमिस्ट्री (पीजीडीएसई) के लिए इग्नू कार्यक्रम अध्ययन केन्द्र जनवरी, 2015 से बन गया और वर्ष 2016-17 में भी जारी रहेगा । आईपीएफटी ने लिक्विड इंसेक्टीसाइड क्लोरपायरीफॉक्स के लिए सॉलिड डब्ल्यूडीजी फॉर्मूलेशन सफलतापूर्वक विकसित किया है । पेटेन्ट दायर किया जा चुका है । आईपीएफटी ने जल आधारित 2 हर्बीसाइड के माईक्रोइमल्सन कॉम्बीनेशन फॉर्मूलेशन विकसित किए हैं । आईपीएफटी ने पौधों से नैनो फॉर्मूलेशन विकसित किए हैं जो सिंथेटिक पेस्टीसाइड के उपयोग में कमी लाएगा । खेतों से हेलीकोवेरपारमिग्रा एवं स्पोडोपटेरा के मानक होमोजेनस जनसंख्या के विकास को संग्रहीत किया और प्रयोगशाला स्थितियों में इन्हें अंतरित किया । आईपीएफटी ने सेना की वर्दी में कीटनाशकों के असर को कम करने के लिए नैनो एनकैप्सूलेटेड छिड़कावयोग्य फॉर्मूलेशन का सफलतापूर्वक विकास किया है । आईपीएफटी को जैव प्रभाविकता, फाइटोटॉक्सीसिटी एवं कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के संबंध आंकड़ों के सृजन के संबंध में केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति (सीआईबी/आरसी) द्वारा प्रमाणित किया गया है । आईपीएफटी ने काठमांडू, नेपाल में आयोजित एशिया एवं पैसेफिक के लिए कीटनाशक संबंधी क्षेत्रीय नेटवर्क (रेनपैप) में 'भारत में वृक्ष संरक्षण रणनीति एवं जैव कीटनाशक' विषय पर आलेख प्रस्तुत किया । आईपीएफटी ने किसानों के लिए खेत स्तर पर कीटनाशकों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग के संबंध में प्रचार सामग्री बनवाए एवं किसानों के बीच इन्हें वितरित किया । वर्तमान में उपलब्ध नीम आधारित कीटनाशक फॉर्मूलेशन की तुलना में उच्च प्रभाव वाले वाणिज्यिक रूप से सक्षम एवं किफायती नीम आधारित फॉर्मूलेशन का विकास किया गया । किसानों द्वारा सीधे उपयोग के लिए इस उत्पाद को बाजार में लाने हेतु केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड में पंजीकरण हेतु आंकड़े सृजित किए जा रहे हैं ।

2.22 अनुसंधान एवं विकास के अधीन, आईपीएफटी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए घरेलू एवं प्रायोजित परियोजनाएं निष्पादित की हैं :

घरेलू परियोजनाएं : (क) उपयोगकर्त्ता एवं पर्यावरण अनुकूल जल में घुलनशील अति-विषैले दानेदार फॉर्मूलेशन, बहु उपयोगी एवं प्रभावी कीटनाशक का विकास ताकि उनके विषैलेपन को कम किया जा सके और उन्हें प्रतिबंधित होने से बचाया जा सके और उनका उपयोग जारी

रहे । (ख) बैकलोवाइरस का भारी मात्रा में उत्पादन तकनीक एवं फॉर्मूलेशन का विकास । (ग) समेकित अप्रोच एवं घरेलू तकनीक से दीमक का प्रबंधन । (घ) गैस/लिक्विड क्रोमोटोग्राफी के साथ मैग्नेटिक कोर सेल नैनोपार्टिकल आधारित एक्सट्रैक्सन-कीटनाशकों के ट्रेस लेवल विश्लेषण के लिए टैंडम मास स्पेक्ट्रोमीटरी । (ड.) प्लांट एक्सट्रक्स एवं उनके जैव-प्रभाविकता अध्ययन से पेस्टीसाइड सूत्रयोग । (च) नीम आधारित कीटनाशक एवं उर्वरक के वाणिज्यिक उपयोग के लिए मूल्यांकन, प्रभाविकता अध्ययन एवं आंकड़ों का सृजन ।

प्रायोजित आरएंडी परियोजनाएं अन्य निधियन एजेंसियों द्वारा स्वीकृत : (क) भारतीय कीटनाशक उद्योग से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट के शोधन के लिए पुन:चक्रित उत्प्रेरक प्रणाली पर आधारित नैनो पार्टिकल्स एवं नैनो पार्टिकूलेट एसेम्बली का विकास (ओपीसीडब्ल्यू द्वारा प्रायोजित) । (ख) विभिन्न फसलों पर कीटनाशक अवशेष की निगरानी (आईसीएआर द्वारा प्रायोजित) । (ग) सैनिक वर्दी एवं पेन्ट को रोगमुक्त करने के लिए नैनो-टेक्नोलॉजी आधारित कीटनाशक फॉर्मूलेशन का विकास एवं मूल्यांकन (डीआरडीओ द्वारा प्रायोजित) । इसके अतिरिक्त, आईपीएफटी ने 12 **उद्योग प्रायोजित परियोजनाएं** निष्पादित की हैं जिसमें जैव-प्रभाविकता एवं फाइटोटॉक्सीसिटी अध्ययन के संबंध में आंकड़ों के सृजन के लिए (9) एवं उपयोगकर्ता तथा पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक फॉर्मूलेशनों के विकास के लिए (3) कृषि रसायन उद्योग की परियोजनाएं 2015-16 के दौरान निष्पादित की हैं ।

2.23 आईपीएफटी ने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 15 पत्र प्रकाशित किए, सम्मेलनों में 11 आलेख प्रस्तुत किए, आईपीएफटी वैज्ञानिकों द्वारा 10 भाषण दिए गए, आईपीएफटी वैज्ञानिकों ने 5 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया एवं आईपीएफटी द्वारा 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

<u>असम गैस क्रैकर परियोजना</u> :

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने बीसीपीएल को 4690 करोड़ रु. की संपूर्ण पूंजी सब्सिडी राशि जारी कर दी है जो निम्न प्रकार से है :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	पूंजी सब्सिडी
2007-08	37.43
2008-09	100.00
2009-10	316.31
2010-11	808.83
2011-12	875.43
2012-13	1552.00

2013-14	1000.00
योग	**4690.00**

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) 02.01.2016 से प्रारंभ हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री ने इसे 05.02.2016 को राष्ट्र को समर्पित किया ।

<u>विभागीय योजनाएं :</u>

2.24 वर्ष 2016-17 के दौरान, विभाग की सीपीडीएस एवं सीडब्ल्यूसी स्कीमों हेतु क्रमश: 5.00 करोड़ रु. एवं 1 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है ।

रसायन संवर्द्धन और विकास योजना (सीपीडीएस) :

2.25 रसायन और पेट्रोरसायन के विभिन्न संवर्द्धनकारी क्रियाकलापों को शुरु करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत आबंटन 5.00 करोड़ रु. है :-

i. **इंडिया केम** एवं **इंडिया केम गुजरात** समारोह के आयोजन द्वारा रसायन उद्योग का संवर्द्धन । ये समारोह दो वर्ष में एक बार फिक्की के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं । वर्ष 2015-16 के दौरान, विभाग फिक्की के साथ मिलकर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 'पॉली इंडिया - 2016' का 28-30 जनवरी, 2016 तक बॉम्बे एक्जीबीशन सेंटर, गोरेगांव, मुंबई में सफलतापूर्वक आयोजित किया । विभाग ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'एडवांसमेंट इन पॉलिमेरिक मैटेरियल (एपीएम -2016)' का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में 11-12 फरवरी, 2016 तक किया ।

   विभाग घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार एवं सम्मेलनों के जरिए उद्योग संघों के प्रयासों को मदद देता है जिससे रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्र का विकास व संवर्द्धन हो । इसमें विकसित रसायन उद्योग और भारतीय उद्योग को अच्छा बाजार देने वालों के साथ विभिन्न देशों में रोड़-शो किए जाएंगे । इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रेता व विक्रेता बैठक भी आयोजित की जाएगी ।

ii. पीसीपीआईआर के संवर्द्धन के लिए भी कार्रवाई की जाएगी । रसायन/प्लास्टिक हबों के संवर्द्धन जैसे उपायों पर भी विचार किया जाएगा ।

रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) :

2.26 समझौते के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित रसायनों की गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए समझौते के अधीन आने वाले रासायनिक संयत्रों का निरीक्षण रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) द्वारा नियमित रूप से की जाती है । भारत में 15.15.2015 तक कुल 206 उद्योग निरीक्षण हुए हैं ।

सीडब्ल्यूसी हेल्प डेस्क :

2.27 विभाग ने भारतीय रसायन परिषद (आईसीसी) के सहयोग से पीपीपी मोड़ में 6 हेल्पडेस्क भी स्थापित किए हैं । इन हेल्पडेस्कों के निम्नलिखित लोकेशन एवं कवरेज है:-

तालिका-3

स्थान	शामिल राज्य
वड़ोदरा	गुजरात,
कोलकाता	पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और पूर्वोत्तर क्षेत्र
मुम्बई	महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश
चैन्नई	तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक
दिल्ली	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंड़ीगढ़, उत्तराखण्ड एवं जम्मू और कश्मीर
हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश, ओड़िसा और छत्तीसगढ़

ये हेल्प-डेस्क सरकार और रसायन उद्योग के बीच समझौते के दायित्यों और उनके अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण इंटरफेस का काम करते हैं । चूंकि संधि का समय-समय पर संशोधित होना होता है और बहुत नए विनिर्माता/निर्यातक उद्योग के प्रथम दिन इस घटक में आते रहते हैं, हेल्प डेस्कों की भूमिका अपने कार्य-कलापों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है । निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए हेल्प-डेस्क की स्थापना की गई है:-

i. सीडब्ल्यूसी अधिनियम के अन्तर्गत रसायन उद्योग की और सीडब्ल्यूसी के बारे में सूचना देना ।
ii. उद्योग के सर्वे के माध्यम से संभावित घोषणाकर्ता नई इकाइयों की पहचान तथा घोषणा दायर करने में उनकी सहायता करना ।
iii. सीडब्ल्यूसी अधिनियम के अन्तर्गत यथानिर्धारित प्रोफार्मे में घोषणाएं करने में औद्योगिक इकाइयों की सहायता करना ।
iv. सीडब्ल्यूसी के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना ।

v. आयोजित गतिविधियों के संबंध में विभाग को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

vi. 2015-16 के दौरान 31.12.2015 तक, 30 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

उपरोक्त गतिविधियों के लिए सीडब्ल्यूसी को वर्ष 2016-17 में 1.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं ।

***

अध्याय - III

सुधारात्मक उपाय एवं नीति संबंधी पहल

<u>पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) नीति :</u>

3.1 पीसीपीआईआर की संकल्पना के अनुसार पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समेकित एवं पर्यावरण अनुकूल रूप से क्लस्टर एप्रोच को बढ़ावा देना है । भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अप्रैल, 2007 में पीसीपीआईआर नीति को विकसित किया । इस नीति का उद्देश्य उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना था । ऐसे समन्वित पीसीपीआईआर से को-साईटिंग, नेटवर्किंग और आम अवसंरचना और सहायता सेवाओं का उपयोग करके बेहतर कौशल का लाभ उठाया जा सकेगा ।

3.2 नीति में प्रत्येक पीसीपीआईआर में एंकर टीनेंट के रूप मं एक रिफाइनरी/पेट्रोरसायन फीड स्टॉक कंपनी होने का प्रावधान है । भारत सरकार पीसीपीआईआर को रेलवे, सड़क, पोर्ट, हवाई अड्डा एवं दूरसंचार सहित बाह्य भौतिक अवसंरचना संपर्क सुनिश्चित करेगी । ये अवसंरचनाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के माध्यमों से जहां तक संभव हो, सृजित की जाएंगी या उन्नत की जाएंगी । केन्द्र सरकार ऐसी परियोजनाओं को आवश्यक फंडिंग भी करती है जिसे संभाव्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) कहा जाता है तथा इन लिंकेज के सृजन के लिए बजटीय सहायता भी प्रदान करती है ।

3.3 पीसीपीआईआर की स्थापना में संबंधित राज्य सरकार की अग्रणी भूमिका रहती है । संपर्कों के समन्वय के लिए एक नोडल विभाग या एजेंसी को अधिसूचित किया जाएगा । प्रत्येक पीसीपीआईआर के लिए संगत विधान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबंधन निकाय पीसीपीआईआर के विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा । पीसीपीआईआर की आंतरिक अवसंरचना के प्रबंधन के लिए पारदर्शी तंत्र के जरिए एक विकासकर्ता या विकासकर्ताओं के समूह का चयन किया जाएगा ।

3.4 वर्तमान में, चार तटीय राज्यों गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तमिलनाडु में पीसीपीआईआर की स्थापना की जा रही है । आंध्र प्रदेश व गुजरात के पीसीपीआईआर प्रस्तावों को फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया गया था जबकि ओडिसा व तमिलनाडू के प्रस्तावों को क्रमशः दिसम्बर, 2010 तथा जुलाई, 2012 में अनुमोदित किया गया । नवीनतम समझौता ज्ञापन तमिलनाडू सरकार द्वारा 20 फरवरी, 2014 को हस्ताक्षरित किया गया है ।

3.5 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं निष्पादन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओड़ीसा	तमिलनाडू
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भारुच	विशाखापट्टनम - काकीनाडा	पाराद्वीप	कुड्डालोर - नागापट्टिनम
अनुमोदन की तिथि	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010	जुलाई, 2012
समझौता ज्ञापन की तिथि	07.01.2010	01.10.2009	03.11.2011	20.02.2014
कुल क्षेत्र (वर्ग किमी.)	453.00	603.58	284.15	256.83
प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग किमी.)	248.00	270.00	123.00	104.00
एंकर टीनेंट	ओएनजीसी पेट्रोलियम एडीशन लि.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल)	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (आईओसीएल)	नागार्जुन ऑयल कॉरपोरेशन लि. (एचओसीएल)
रिफाइनरी/क्रैकर क्षमता एमएमटीपीए में	क्रैकर : इथाइलीन : 1.1 प्रोपाइलीन : 0.6	9.3 से 15 (वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार) 15 (ग्रीनफील्ड)	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)	12 (रिफाइनरी)
एंकर परियोजना स्थिति	तिथि : प्रारम्भन जून, 2016	ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए एंकर टीनेंट बोर्ड में अभी आना है ।	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7 फरवरी, 2016 को उद्घाटन	2011 से निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसे प्रारम्भ किया जाना है ।
अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं की कुल राशि (करोड़ रु. में)*	15436	18,731.00	13634.00	13354.00
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का अंश दान (करोड़ रु. में)*	80.50	1206.80	716.00	1143.00 1500 .00 (बजटीय सहयोग)
प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु. में)*	50,000	3,43,000	2,78,000	92,000
किया गया निवेश (करोड़ रु. में)*	70,500	37,000	45,000	8100

संभावित रोजगार (संख्या)*	8,00,000	11,98,000	6,50,000	7,37,000
सृजित रोजगार (संख्या)	78,000	93,500	38,000	13,950
मास्टर प्लानिंग अधिसूचना की स्थिति	2012 में विकास योजना अनुमोदित	संशोधित । प्रारूप अंतिम मास्टर प्लान, प्रस्तुत किया जा रहा है	मास्टर प्लान योजना की तैयारी जारी है	प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा
ईआईए की स्थिति	अंतिम ईआईए प्रारूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है	ईएमपी/ईआईए अध्ययन एपीपीसीबी सार्वजनिक सुनवाई के लिए प्रस्तुत	सलाहकार को लगाने की प्रक्रिया चल रही है ।	प्रबंधन बोर्ड के गठन के पश्चात इसे शुरू किया जाएगा

* *परियोजनाओं के अनुमोदन के स्तर के समय*

***

अध्याय - IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

31.12.2015 की स्थिति के अनुसार पीसीपीआईआर क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति :

4.1 इस विभाग की योजनाओं को वृहत्त रूप से तीन समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे - (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण परियोजनाओं के लिए सहायता (ii) स्वायत्तशासी अकादमिक व अनुसंधान संस्थान सिपेट एवं आईपीएफटी को अनुसंधान एवं कुशलता विकास के लिए सहायता (iii) रसायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी) के लिए विभागीय प्रोत्साहन/जागरूकता योजनाएँ; केमिकल प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस), आईटी/सचिवालय आदि । 2007-08 से एक महत्वपूर्ण योजना, जिसे विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, असम के डिब्रूगढ़ जिले के लापेटकाटा में असम गैस क्रैकर परियोजना स्थापित करना है ।

4.2 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान स्कीमवार समीक्षा एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

गुजरात पीसीपीआईआर :

दाहेज गुजरात में पीसीपीआईआर की स्थापना के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति(सीसीईए) का अनुमोदन फरवरी, 2009 में प्राप्त हुआ था । रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के बीच पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन के लिए जनवरी, 2010 में एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया गया था ।

- विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिनियम के अधीन पीसीपीआईआर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था ।

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में प्रारूप विकास की योजना/मास्टर प्लान संस्तुत की गई थी और वर्तमान में 2 शहर योजनाएं (टीपी) स्कीम क्रियान्वित हो रही हैं ।

- पीसीपीआईआर में अवसंरचना के प्रावधानों के लिए गुजरात अवसंरचना विकास निगम(जीआईडीसी) ने 10,994 करोड़ रु. खर्च किए हैं ।

- राज्य सरकार द्वारा अवसंरचना विकास जैसे सड़क, पोर्ट, जलापूर्ति आदि के लिए 12,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है ।

- दाहेज-भरूच राज्य राजमार्ग को दिल्ली - मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से जोडा जाएगा । अहमदाबाद - बडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग को मुंबई तक बढाने की योजना है ।

- रेल संपर्क एवं कार्गो परिवहन दिल्ली - मुंबई समर्पित फ्रेट कारीडोर (डीएफसी) के साथ उपलब्ध है ।

- परियोजना में लगभग 22,000 करोड़ रु. का निवेश एंकर टेनेंट मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडीशन्स लि.(ओपल) द्वारा किया गया है ।

- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) के लिए अंतिम संदर्भ बिंदूओं के आधार पर अंतिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) रिपोर्ट को विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति(ईएसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है और नीरी, नागपुर द्वारा अंतिम रूप दिया गया है एवं जनसुनवाई और गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात 7 सितंबर, 2015 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण से सिफारिश प्राप्त करने के लिए अपेक्षित जानकारी मांगी गई है ।

- गुजरात पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए और भविष्य का कदम तय करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया है और एक कार्य योजना तैयार की गई है ।

आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर :

आंध्र प्रदेश में पीसीपीआईआर की स्थापना को फरवरी, 2009 में अनुमोदित किया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार के बीच 1 अक्टूबर, 2009 को समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया गया । आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पीसीपीआईआर के क्रियान्वयन के लिए विशेष विकास प्राधिकरण (एसडीए) गठित किया गया था ।

- विस्तृत मास्टर प्लानिंग अगस्त, 2013 को प्रकाशित की गई थी और प्राप्त आपत्तियों का निपटारा किया जा रहा है ।

- वीके पीसीपीआईआर एसडीए ने पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई), हैदराबाद को तटीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए संलग्न किया है एवं पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन का कार्य मैसर्स इन्डोमर कोस्टल हाईड्रोलिक्स को सौंपा गया है । सीआरजेड एवं सीजेडएमपी अध्ययन की जिम्मेदारी सीएसआईआर-एनआईओ, गोवा को सौंपी गई है । ईपीटीआरआई द्वारा समेकित रिपोर्ट तैयार की गई और ईआईए रिपोर्ट प्रारूप को एपीपीसीबी के समक्ष 03.11.2014 को प्रस्तुत किया गया । एपीपीसीबी द्वारा जिला प्राधिकरण के माध्यम से विशाखापट्टिनम एवं काकीनाडा जिलों में जन सुनवाई आयोजित की गई ।

- आंध्र प्रदेश पीसीपीआईआर में 6 मौजूदा एसईजेड शामिल हैं । इकाइयों ने लगभग 34,336 करोड़ रु. का निवेश कर दिया है । अवसंरचना विकास के लिए 1850 करोड़ रु. का निवेश किया गया है ।

- परियोजना के हिस्से के रूप में, पीपीपी मोड में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1206.80 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता(संभाव्यता अंतर निधियन या वीजीएफ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी जिसे परियोजना की नवीनतम जरूरतों के आधार पर संशोधित किया जा रहा है । राज्य सरकार ने संशोधित निधियन जरूरतों पर भारत सरकार के अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है ।

- वीके पीसीपीआईआर में 9.3 एमएमटीपीए की मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर 15 एमएमटीपीए करने और 15 एमएमटीपीए क्षमता की ग्रीन फील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.(एचपीसीएल) को लगभग 50 हजार करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश के लिए एंकर टेनेंट के रूप में चिन्हित किया गया है । एचपीसीएल अब भी भागीदारों की तलाश कर रहा है और इसलिए एंकर टीनेंट ने प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू नहीं किया है ।

- सड़क, रेल लिंक, जलापूर्ति, नि:स्सारी शोधन एवं मेरीन आऊटफाल परियोजनाएं अध्ययन से लेकर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है ।

ओडिशा पीसीपीआईआर :

ओडिशा में पीसीपीआईआर की स्थापना को दिसंबर, 2010 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था और ओडिशा प्रदेश सरकार और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार के बीच नवंबर, 2011 में समझौता ज्ञापन(एमओए) पर हस्ताक्षर किया गया ।

- परियोजना क्रियान्वित करने के लिए पाराद्वीप निवेश क्षेत्र विकास लि. नाम की विशेष उद्देश्य निकाय का गठन किया है ।

- क्षेत्र के लिए प्रारंभिक मास्टर प्लान आईएलएंडएसएफ एवं एलएनटी राम्बल द्वारा तैयार किया गया है । तथापि, पीसीपीआईआर के औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए विस्तृत मास्टर योजना को पीसीपीआईआर प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा । इडको द्वारा क्षेत्र के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए प्रख्यात परामर्शदाता के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है ।

- सड़क अवसंरचना के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इसे मास्टर प्लान तैयार करने के पश्चात अंतिम रूप दिया जाएगा ।

- एंकर टेनेंट अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. ने 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी और पॉली प्रोपाइलीन इकाई की स्थापना के लिए 32,018 करोड़ रु. (अनुबंध राशि एवं प्रतिबद्धित राशि सहित) का निवेश किया है ।

- एसपीआई पोर्टस प्रा. लि. द्वारा 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र को उच्चस्तरीय अनापत्ति प्राधिकरण (एचएलसीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

- सूरत-पाराद्वीप गैस पारेषण पाइपलाइन - जोकि एक अंतर्राज्यीय गैस पारेषण पाइपलाइन है, को गेल क्रियान्वित कर रही है ।

- इडको द्वारा प्रारंभिक पर्यावरण मूल्यांकन अध्ययन किया गया है । विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरण प्रबंधन के लिए ईआईए तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई), हैदराबाद के साथ ईडको की चर्चा चल रही है ।

- इडको, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार के प्लास्टिक पार्क स्कीम के अधीन पाराद्वीप में प्लास्टिक पार्क का विकास कर रहा है । सरकार की ओर से अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है ।

- ठोस अपशिष्ट शोधन एवं निपटान कार्य के लिए अनुबंध देने हेतु बोली प्रक्रिया जारी है ।

तमिलनाडु पीसीपीआईआर :

तमिलनाडु में पीसीपीआईआर की स्थापना को सीसीईए ने जुलाई, 2012 में अनुमोदित किया था और तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार के बीच 20 फरवरी, 2014 को समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया गया जिसमें परियोजना का विवरण, निधियन रूपरेखा एवं सभी पक्षों की जिम्मेदारी का उल्लेख था ।

- राज्य सरकार ने पीसीपीआईआर के प्रबंधन बोर्ड के गठन का कार्य शुरू किया है । इसके पश्चात, मास्टर प्लानिंग और ईआईए गतिविधियां शुरू की जाएंगी ।

- एंकर टीनेंट**,** नागार्जुन ऑयल कारपोरेशन लि. **(**एनओसीएल**)** ने रिफाइनरी परियोजना में 7430 करोड़ रु. का निवेश किया है ।

- परियोजना के प्रथम चरण के पूरा होने की तिथि को वित्तीय बाधाओं के कारण बढ़ा दिया गया है । परियोजना की क्षमता को 6 एमएमटीपीए से बढ़ाकर 12 एमएमटीपीए किया जा रहा है जिसके कारण लागत समानुपाती रूप से बढ़ कर 18,503 करोड़ रु. हो गई है ।

- कच्चे तेल की प्राप्ति के लिए एकल बिन्दु निगरानी तेल व पेट्रोलियम ईंधन की निकासी के लिए उत्पाद जेट्टी का निर्माण कार्य निमार्णाधीन है और 51% प्रगति दर्ज की गई है ।

<u>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :</u>

4.3 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (**एचओसीएल**): लगातार हानि होने से 2003-04 तक नकारात्मक रूप से मूल्य में हानि हुई**,** कंपनी के पुनर्वास पैकेज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और 2006-07 के दौरान क्रियान्वित किया गया । एचओसीएल के पुनरुद्धार के लिए अतिरिक्त परिव्यय 250 करोड़ रु. था । एचओसीएल ने वर्ष 2006-07 व 2007-08 में लाभ अर्जित किया और बीआईएफआर से बाहर आ गई लेकिन वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान वैश्विक मंदी के प्रभावों के कारण बाजार में आई सुस्ती की वजह से हानि अर्जित की । हालांकि 2010-11 में पुन: लाभ अर्जित किया और तत्पश्चात, इसके प्रमुख उत्पाद फिनॉल एवं एसीटोन पर पाटनरोधी शुल्क हटाने की वजह से 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान कंपनी ने हानि अर्जित की और 31.03.2015 तक कंपनी को 927.55 करोड़ रु. की संचयी हानि हुई है । 31.03.2013 को कंपनी का नेटवर्थ फिर से नकारात्मक हो गया और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनी के तौर पर पंजीकृत होने के लिए इसे

बीआईएफआर के पास संदर्भित किया गया । बीआईएफआर ने एचओसीएल को 22.07.2015 को रुग्ण कंपनी घोषित किया । एचओसीएल को 2014-15 के दौरान कोई ऋण प्रदान नहीं किया गया था ।

4.4 हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल): एचआईएल के लिए पुनरूद्धार प्रस्ताव को सरकार ने जुलाई, 2006 में अनुमोदित किया था जिसमें ऋण माफी, बकाया ब्याज की माफी एवं ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना शामिल है । पुनरूद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के बाद, एचआईएल लगातार पिछले 9 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है । अपने लाभप्रदता को सुधारने एवं कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एचआईएल ने कृषि रसायन एवं बीज व्यापार में विविधिकरण किया है । एचआईएल ने 2010-11 में 1.58 करोड़ रु., 2011-12 में 1.60 करोड़ रु., 2012-13 में 2.92 करोड़ रु., 2013-14 में 1.84 करोड़ रु. और 2014-15 में 1.60 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है । एचआईएल को 2014-15 में 15 करोड़ रु. का योजना ऋण प्रदान किया गया था ।

4.5 हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल): प्रचालन एजेंसी मै. आईडीबीआई के अधीन पुनर्वास पैकेज को बीआईएफआर द्वारा 03.12.2007 को अनुमोदित किया गया था और क्रियान्वयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है । पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन के पश्चात एचएफएल ने 2009-10 में 3.06 करोड़ रु., 2010-11 में 2.23 करोड़ रु., 2011-12 में 2.52 करोड़ रु., 2012-13 में 94.88 लाख रु. का लाभ अर्जित किया । तथापि, 1997 एवं 2007 के वेतन भत्तों बकायों के प्रावधान और बिक्री की वसूली में कमी की वजह से 2013-14 में 24.82 करोड़ रु., एवं 2014-15 में 3.77 करोड़ रु. की हानि अर्जित की है । कंपनी का निवल वर्थ नकारात्मक होने के कारण, कंपनी बीआईएफआर के अंतर्गत रुग्ण कंपनी बनी हुई है । एचएफएल को 2014-15 में 16.80 करोड़ रु. का ऋण प्रदान किया गया था ।

<u>स्वायत्त संस्थान</u> :

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) :

4.6 2013-14 में दीर्घकालिक कार्यक्रम में 11,994 छात्रों का नामांकन हुआ था जोकि 2014-15 में बढ़कर 12,629 छात्र हो गया जोकि गत वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है । सिपेट ने राष्ट्रीय कुशलता विकास पहल के अंतर्गत अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए 2013-14 में 28,498 छात्रों एवं 2014-15 में 30,281 छात्रों को प्रशिक्षित किया । सिपेट ने राष्ट्रीय कुशलता विकास पहल के अंतर्गत 2011-2022 अवधि के दौरान, 6.20 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है । 31.01.2016 तक, सिपेट ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के

अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 80,000 प्रतिभागियों की तुलना में सिपेट द्वारा 48,162 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है ।

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी)

4.7 वर्ष 2015-16 के दौरान**,** उद्योग प्रयोजित परियोजना एवं कीटनाशी प्रतिदर्शों के परीक्षणों से आईपीएफटी ने 92.45 लाख रु. का राजस्व सृजन किया है ।

<u>विभागीय स्कीमें</u>

केमिकल प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस):

4.8 इन गतिविधियों के लिए 3.90 करोड रु. आवंटित थे जिसमें से रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनारों, सम्मेलनों**,** कार्यशालाओं, अध्ययन एवं प्रदशर्नी के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में 31.12.2015 तक 1.83 करोड़ रु. खर्च किए गए ।

रासायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी):

4.9 इस स्कीम के लिए 1.00 करोड़ रु. का आवंटन था और 31.12.2015 तक 1.00 करोड़ रु. का उपयोग कर लिया गया है । कैलेन्डर वर्ष 2015 के दौरान, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा कुल 25 औद्योगिक निरीक्षण आयोजित किए गए । 2014-15 के दौरान 31.12.2015 तक, सीडब्ल्यूसी के प्रावधानों के संबंध में 20 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ।

<u>पेट्रोरसायन संबंधी अन्य नई स्कीमें :</u>

4.10 राष्ट्रीय पेट्रो रसायन नीति में परिकल्पित उपायों के क्रियान्वयन के लिए पेट्रो- रसायन क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर कई संभाव्यता अध्ययन किए गए हैं । संभाव्यता अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने तीन स्कीमें तैयार की हैं जैसे- (i) पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (ii) पेट्रोरसायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्रों(सीओई) की स्थापना, एवं (iii) प्लास्टिक पार्कों की स्थापना, जोकि क्रियान्वयन के अधीन हैं ।

i प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार -

पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवाचारों एवं खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना को विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । इस स्कीम का लक्ष्य नए नवोन्मेषी उत्पाद का विकास, उत्पाद जीवन चक्र को बढ़ाना, गुणवत्ता मानकों की स्थापना, बेहतर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बेहतर ऊर्जा संरक्षण आदि के क्षेत्र में नवोन्मेषी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है । सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी (सिपेट) को योजना के लिए नामांकन करने और लक्ष्य को पूरा करने का कार्य सौंपा गया । विभाग इस पुरस्कार स्कीम को प्रशासित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सिपेट को लगभग एक करोड़ रु. की अनुदान सहायता प्रदान करता है । प्रौद्योगिकी नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नवोन्मेषण के लिए आठ श्रेणियों जैसे पॉलिमेरिक सामग्री, पॉलिमेरिक उत्पादों, पॉलिमर अपशिष्ट प्रबंधन, पुन:चक्रण प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है । प्रत्येक श्रेणी में तीन उप श्रेणियों यथा (i) व्यक्तिगत/दल (ii) उद्योग एवं (iii) आरएंडडी संस्थान में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । प्रत्येक श्रेणी के लिए पुरस्कार राशि 2 लाख रु. है ।

4.12 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 8 श्रेणियों एवं 3 उप-श्रेणियों में 264 नामांकन प्राप्त हुए हैं । नामांकनों की जांच एवं मूल्यांकन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने विधिवत जांच के बाद नामांकनों का चयन किया और इन्हें 22 दिसंबर, 2015 को आयोजित एक बैठक में पुरस्कार समिति द्वारा आगे मूल्यांकन किया गया जिन्हें अंतिम सिफारिश के उपरांत सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

4.13 अभी तक दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नानुसार हैं :

राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	विजेता	उप-विजेता
1	2010-11	09	शून्य
2	2011-12	15	10
3	2012-13	11	08
4	2013-14	17	06
5	2014-15	16	14
6	2015-16	17	14

ii. पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना :

4.14 इस स्कीम का लक्ष्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी व अनुसंधान में सुधार तथा पॉलीमर व प्लास्टिक में नए प्रयोग के विकास को संवर्द्धित करना है । विभाग ने प्रसिद्ध शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के परिसर में 5 उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना की है :

i. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे - अनुसंधान, नमोन्मेषण और प्रशिक्षण (सीईओ-एसपीआईआरटी) के माध्यम से सतत् पॉलीमर उद्योग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र;
ii. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई - हरित परिवहन नेटवर्क के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (ग्रीट);
iii. आईआईटी, दिल्ली में एडवांस पॉलीमीरिक मेटीरियल के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
iv. सिपेट भूवनेश्वर में - सतत् हरित सामग्री पर उत्कृष्टता केन्द्र और
v. आईआईटी, गुवाहाटी में सतत् पॉलीमर के लिए उत्कृष्टता केन्द्र ।

सीओई, पुणे एवं सीओई, सिपेट, चेन्न्ई को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और शेष तीन उत्कृष्टता केन्द्रों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित किया गया था ।

4.15 एनसीएल, पुणे में सीओई - स्पिरिट के अधीन सृजित परिसंपत्तियों के परिणामस्वरूप न केवल पॉलिमर विज्ञान में समकालीन अनुसंधान में वृद्धि हुई है, बल्कि पॉलिमर उद्योग एवं शिक्षा क्षेत्र के कई सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है । सिपेट, चेन्नई ने सीओई - ग्रीट और सिपेट, भुवनेश्वर में सतत् हरित सामग्री संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के मामले में, सिपेट, इंडिया एवं टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा तथा मिसिगन स्टेट यूनिवरसिटी, यूएसए के बीच भागीदारी के माध्यम से शैक्षणिक, अनुसंधान एवं शैक्षणिक उत्कृष्टता के रूप में परिणाम प्राप्त हो रहे हैं । आईआईटी, दिल्ली और आईआईटी, गुवाहाटी में क्रमश: एडवांस्ड पॉलीमेरिक मैटीरियल और सस्टेनेबल पॉलीमर में अनुसंधान कार्यकलापों को आगे बढ़ाने लिए संसाधनों और क्षमताओं को सुदृढ़ किया जा रहा है ।

4.16 भारत सरकार परियोजना को अधिकतम कुल लागत का 50% की सीमा तक 6 करोड़ रु. की कीमत तक की अधिकतम वित्तीय सहायता तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान करती है । सीओई, पुणे, चेन्नई एवं भुवनेश्वर को 6 करोड़ रु. की भारत सरकार की अनुदान सहायता जारी कर दी गई है । वर्ष 2015-16 में चुनिंदा सीओई के भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पदन की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के आधार पर, आईआईटी, गुवाहाटी को नवंबर, 2015 को 2 करोड़ रु. की तीसरी किश्त संस्तुत कर दी गई है ।

III. **प्लास्टिक पार्कों की स्थापना**

4.17 स्कीम का लक्ष्य घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की क्षमताओं को समेकित एवं एकीकृत करने के लिए क्लस्टर विकास एप्रोच के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसंरचना एवं सक्षम एक समान सुविधाओं वाले एक इको-सिस्टम के रूप में आवश्यकता आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना है । इस स्कीम का वृहद लक्ष्य इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ा कर एवं रोजगार सृजित कर अर्थव्यवस्था में योगदान करना है ।

4.18 इस स्कीम के अधीन, भारत सरकार प्रति परियोजना 40 करोड़ रु. की सीमा तक परियेाजना लागत के 50% तक का अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । शेष परियोजना लागत राज्य सरकार का राज्य औद्योगिक विकास निगम या राज्य सरकार की ऐसी एजेंसियों, लाभार्थी उद्योग द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है ।

4.19 स्कीम स्टीयरिंग समिति (एसएससी) ने पूर्व में मध्य प्रदेश, ओडीशा एवं असम राज्यों से प्राप्त प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया । विभाग ने वर्ष 2013-14 में मध्य प्रदेश, ओडीशा एवं असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में 8 करोड़ रु. की प्रथम किश्त जारी कर दी । वर्ष 2015 में असम प्लास्टिक पार्क को 14 करोड़ रु. की अनुदान सहायता की दूसरी किश्त जारी की गई । तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किए जाने के बाद तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए 30.10.2015 को एसएससी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

4.20 विभाग ने 12वीं एवं 13वीं योजना अवधि के दौरान, चार वर्तमान प्लास्टिक पार्क (एसएससी द्वारा अनुमोदित) एवं 6 अतिरिक्त पार्क सहित 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की मांग के प्रस्ताव को रखा है । इसके अलावा, विभिन्न राज्यों से प्राप्त अतिरिक्त मांग पर विचार करते हुए, माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने सितम्बर, 2015 में 8 और प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया (जोकि पूर्व में अनुमोदित 10 प्लास्टिक पार्कों के अतिरिक्त है) । यह पहल न केवल 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा ।

***

अध्याय-V

वित्तीय समीक्षा

5.1 वर्ष 2014-15 (व्यय), 2015-16 के लिए (ब.अ., सं.अ. एवं व्यय) एवं 2016-17 (ब.अ.) के संबंध में योजना-वार परिव्यय एवं व्यय निम्नानुसार है :

तालिका - 9

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	**योजना/कार्यक्रम**	**2014-15**	**2015-16**			**2016-17**
		व्यय	**ब.अनु.**	**सं.अनु.**	**12.02.2016 तक व्यय**	**ब.अनु.**
I	**पीएसयू को परियोजना आधारित सहयोग**	**31.80**	**32.00**	**15.00**	**0.00**	**40.00**
1.1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)	0.00	17.00	0.00	0.00	25.00
1.2	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड लिमिटेड (एचआईएल)	15.00	10.00	10.00	0.00	15.00
1.3	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)	16.80	5.00	5.00	0.00	0.00
II	**स्वायत्त निकायों को सहायता**	**102.53**	**93.68**	**108.68**	**108.68**	**65.99**
2.1	सेन्ट्रल इन्सटीट्यूट आफॅ प्लास्टिक इन्जीनियरिगं एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)	100.85	92.68	107.68	107.68	57.67
2.2	इन्सटीट्यूट आफॅ पेस्टीसाइड फॉरमूलेशन टेक्नोलाजी (आईपीएफटी)	1.68	1.00	1.00	1.00	8.32
III	**अन्य जारी परियोजनाएं**	**17.05**	**62.32**	**18.21**	**8.16**	**54.01**
3.1	असम गैस क्रैकर योजना+	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
3.2	केमिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	3.53	1.90	3.90	2.52	5.00
3.3	रसायनिक हथियार समझौता (सीडब्ल्यूसी)	0.87	1.00	1.00	1.00	1.00
3.4	आईटी/सचिवालय	0.48	1.00	0.80	0.49	0.00
3.5	पेट्रोरसायन की अन्य नई योजनाएं	12.17	58.41	12.50	8.84	48.00
	कुल	**151.38**	**188.00**	**141.89**	**121.53**	**160.00**

***

अध्याय-VI

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और स्वायत्तशासी संस्थान की संवीक्षा

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम :

6.1 इस विभाग में रसायन क्षेत्र में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड(एचओसीएल), हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड जोकि एचओसीएल की अनुषंगी कंपनी है और हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) हैं तथा एक पेट्रोरसायन क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड उपक्रम है(असम गैस क्रैकर परियोजना)।

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)

6.2 एचओसीएल को 1997-1998 में पहली बार घाटा हुआ और तत्पश्चात 2004-05, 2006-07 और 2007-08 एवं 2010-11 के दौरान रुक-रुककर हुए कुछ लाभों को छोड़कर यह 2014-15 तक नकारात्मक परिणाम होते रहे । 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि में कंपनी ने 600 करोड़ रु. से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार किया । तथापि, 2011-12 से नगदी का लगातार घाटे के परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी भी घट गई और कंपनी के प्रचालनों की स्थिति भी खराब हो गई जिसमें लंबी अवधि तक प्रक्रिया संयंत्रों को बंद करना शामिल है । पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही की वैश्विक मंदी के कारण एचओसीएल के मुख्या उत्पादों- फिनॉल और एसीटोन के मूल्यों में गंभीर गिरावट हुई जिनके परिणामस्वरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है । इसके कारण, कारोबार व्यापक रूप से घटा है जो 2012-13 में 624.19 करोड़ रु. से घटकर 2014-15 में 150.13 करोड़ रु. हो गया तथा उक्त अवधि में 137.99 करोड़ रु. से बढ़कर 215.49 करोड़ हो गया । कंपनी कार्यशील पूंजी की भारी कमी का सामना कर रही है जिसके फलस्वरूप कोच्चि और रसायनी, दोनों इकाइयों में प्रचालनों/संयंत्रों और इस प्रकार कंपनी का वित्तीय संकट अधिक गहरा गया है ।

6.3 पिछले पांच वर्षों में कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में एचओसीएल का वित्तीय कार्य निष्पादन और शुद्ध मूल्य 31.03.2015 की स्थिति अनुसार नीचे दिया गया है:

(**रु. करोड़ में**)

वर्ष	**बिक्री/टर्नओवर(रु. करोड़ में)**	**शुद्ध लाभ/हानि**
2010-11	738.04	25.72
2011-12	606.37	(78.07)
2012-13	624.19	(137.99)
2013-14	236.80	(176.85)
2014-15	167.19	(215.49)
	शुद्ध मूल्य 31.03.2015 की स्थिति अनुसार **(-) 534.16 करोड़**	

6.4 2015-16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान, अनंतिम आलेखांकित परिणामों के अनुसार कंपनी ने 97.39 करोड़ का व्यापार किया और 133.70 करोड़ का घाटा हुआ । कम व्यापार और हानि इस तथ्य के कारण रही है कि कंपनी के अधिकांश संयंत्र/परिचालन कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कई महीनों तक सामान्य रूप से बंद रहे हैं ।

हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)

6.5 प्रचालनरत एजेंसी मै. आईडीबीआई के अधीन एचएफल के लिए एक पुनर्वास पैकेज बीआईएफआर द्वारा 03.12.2007 को अनुमोदित किया गया है । पुनर्वास पैकेज 19.28 करोड़ था और इसमें किसी भी सरकारी निधि का निषेचन नहीं था । पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन के अनुसरण में एचएफएल ने 2007-08 से 2012-13 तक मामूली लाभ अर्जित किया । तथापि, कंपनी को 2013-14 में (24.82 करोड़ रु.) और 2014-15 में (3.77 करोड़ रु.) का घाटा मुख्य रूप से वेतन बकाया राशि के लिए प्रावधान करने और इसके मुख्य उत्पाद पीटीएफई बिक्री की कम वसूली के कारण हुआ ।

6.6 एचएफएल के पुनरुद्धार और विकास के लिए कंपनी ने फ्लूरों विशेष रसायनों के लाभप्रद कारोबार (जिसका पीटीएफई के वर्तमान ग्रेडों से उच्च लाभ का मार्जिन है) विविधीकरण किया है और पीटीएफई पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से अकेले उत्पाद के स्थान पर बहुउत्पाद सुविधा को अपनाने की कार्य नीति को अपनाया है । इसने पीटीएफई(संशोधित पीटीएफई और एमपीटीएफई) के बेहतर ग्रेडों को विकसित किया है और इसका निर्यात करना शुरू कर दिया है । एचएफएल ने टीएफई-ईथर जैसे फ्लूरो स्पेशिएलिटी रसायन का विकास किया है तथा टेलोमर्स जैसे अन्य फ्लूरो स्पेशिएलिटी रसायनों के विकास के लिए सफलतापूर्वक ट्रायलों को पूरा किया है । इन उत्पादों से राजस्व के सृजन से कायापलट करने में एचएफएल को सहायता मिल जाने और निकट भविष्य में लाभ अर्जित करने की आशा है ।

6.7 पिछले पांच वर्षों में कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में एचएफएल का वित्तीय कार्य निष्पादन और शुद्ध मूल्य 31.03.2015 की स्थिति अनुसार नीचे दिया गया है:

(**रु. करोड़ में**)

वर्ष	**कारोबार**	**शुद्ध लाभ**
2010-11	33.52	2.23
2011-12	50.33	2.52
2012-13	44.48	0.95
2013-14	31.34	(-)24.82
2014-15	32.75	(-)3.77
	शुद्ध मूल्य 31.03.2015 की स्थिति अनुसार **(-) 52.55 करोड़**	

6.8 2015-16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान, अनंतिम आलेखांकित परिणामों के अनुसार कंपनी ने 25.40 करोड़ का व्यापार किया और 7.00 करोड़ रु. का घाटा हुआ । कम व्यापार और हानि इस तथ्य के कारण रही है कि कंपनी के अधिकांश संयंत्र/परिचालन कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कई महीनों तक सामान्य रूप से बंद रहे हैं ।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल)

6.9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) को एचआईएल डीडीटी का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है । कंपनी डीडीटी कुछ अफ्रीका के देशों को निर्यात भी करता है । डीडीटी कंपनी के बिक्री कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत है ।

6.10 एचआईएल ने कृषि क्षेत्र को गुणवत्ता कीटनाशकों की आपूर्ति उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1970 के उत्तरार्ध में कृषि रसायनों में विविधीकरण किया था । आज इसके पास कृषि समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी और फार्मूलेशन ग्रेड कीटनाशक हैं । इस स्थिति को अधिक समेकित करने के उद्देश्य से, एचआईएल ने 2012-13 में बीजों के उत्पादन और विपणन व्यापार का जोखिम उठाया था । फसलों और सब्जियों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और विपणन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कंपनी को एक नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई है । कंपनी किसानों के बीच अद्यतन उच्च पैदावार की विविधताओं को प्रचालित करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मिनीकिट कार्यक्रम में भाग ले रही है ।

6.11 एचआईएल ने उर्वरक व्यापार के एक नए लक्षित क्षेत्र की भी पहचान की है । इसे उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरक आयात करने वाली एक एजेंसी के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है । इसके अलावा, कंपनी का भटिंडा संयंत्र की योजना जल सोल्यूवल उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए इसकों प्रयोग करने के लिए बनाई गई है । इस विविधीकरण से तीन महत्वपूर्ण कृषि संसाधनों अर्थात् बीजों, कीटनाशकों तथा उर्वरकों की व्यवस्था करके खेती समुदाय के लिए एक स्टॉप शॉप के रूप में कंपनी समर्थ होगी।

6.12 कंपनी पिछले दस वर्षों से लाभ को निरंतर रूप से दर्ज करती रही है 31.03.2015 की स्थिति अनुसार पिछले पांच वर्षों में कारोबार और शुद्ध लाभ/हानि के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(**रु. करोड़ में**)

वर्ष	**कारोबार**	**शुद्ध लाभ**
2010-11	271.04	1.58
2011-12	279.82	1.60
2012-13	301.11	2.92
2013-14	330.35	1.84
2014-15	339.90	1.60
	शुद्ध मूल्य 31.03.2015 की स्थिति अनुसार **92.56 करोड़**	

6.13 2015-16 (दिसंबर, 2015 तक) के दौरान अनंतिम आलेखांकित परिणामों के अनुसार कंपनी ने 132.78 करोड़ रु. का कारोबार किया और 0.25 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है ।

6.14 एचआईएल ने 2013-14 के दौरान, 8.73 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में 2014-15 में 26.99 करोड़ रु. का निर्यात किया था । कंपनी ने जिंबावे, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे अफ्रीका देशों को इन देशों में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए निर्यात किया था । इसने मैक्सिकों, कोस्टारिका, रूस, पेरू, इजराइल, स्पेन और म्यांमार जैसे देशों को कृषि रसायनों का निर्यात किया था ।

6.15 मै. ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लि. (असम गैस क्रैकर परियोजना)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने 4690 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी की संपूर्ण स्वीकृत राशि को निम्न प्रकार जारी किया है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पूंजीगत सब्सिडी
2007-08	37.43
2008-09	100.00
2009-10	316.31
2010-11	808.83
2011-12	875.43
2012-13	1552.00
2013-14	1000.00
कुल	4690.00

असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) 02.01.2016 को चालू कर दी गई है और इसे 05.02.2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है ।

<u>स्वायत्तशासी संस्थान/संगठन :</u>

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) :

6.16 सिपेट के उद्देश्यों में प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं सहयोगी उद्योगों एवं अनुसंधान के विभिन्न संकायों में मानव संसाधन को प्रशिक्षण देना तथा प्लास्टिक एवं सहयोगी उद्योग को विभिन्न प्रौद्योगिकीय आयामों में तकनीकी सहयोग तथा परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करना शामिल है । संस्थान एससी/एसटी छात्रों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण लघुस्तरीय उद्यमियों के लाभार्थ विशिष्ट क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है । सिपेट 13 विभिन्न दीर्घकालिक कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा, अंडर ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट एवं पीएचडी आयोजित करता है । 11वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन, सिपेट ने विभिन्न दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कुशलता विकास कार्यक्रमों के जरिए 1,16,638 छात्रों को प्रशिक्षित किया । 12वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 2.2 लाख छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है ।

इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) :

6.17 संस्थान पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के फार्मूलेशन के विकास में संलग्न है और कीटनाशक उद्योग के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है । पूंजीगत सहयोग के अधीन नए अवसंरचना के प्रावधान तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के उन्नयन, जारी परियोजनाओं को पूरा करने और नई पीढ़ी के फार्मूलेशन के लिए तकनीकी विकास हेतु विभिन्न नई परियोजनाओं को शुरू करने जैसे बायो सांइस तथा विश्लेषक परियोजना के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु संस्थान को 2016-17 के लिए 8.32 करोड़ रु. के राशि आवंटित की गई है ।

2015-16 के दौरान, आईपीएफटी ने 92.45 लाख रु. के राजस्व का सृजन किया था।

***

अनुबंध-I

परिव्यय और परिणामी बजट/लक्ष्यों पर टिप्पणी

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			गणनीय प्रदेय/भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणी/जोखिम कारक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			गैर-योजनागत बजट	योजनागत बजट (करोड़ रु. में)	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	**असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)**		**0.01***	**0.01***					
i)	असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी)	8920 करोड़ रु. की कुल संशोधित परियोजना लागत से इथाइलीन व एलएलडीपीई/एचडीपीई प्रत्येक का 2,20,000 टीपीए व 60,000 टीपीए पॉलीप्रोपाइल का उत्पादन पर दिसम्बर, 2015 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।	0.01*	0.01*		परियोजना के शुरू होने से डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश होगा और क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से रोजगार के अवसर सृजित होंगे ।		03.12.2015 की स्थिति के अनुसार लपेटकाटा में एलएलडीपीई/एचडीपीई यूनिट और लाकवा में यूनिट सी2+ रिकवरी यूनिट को छोड़कर सभी यूनिटों को चालू कर दिया गया है परियोजना का चालू किया जाना दिसंबर, 2015 तक निर्धारित है ।	संशोधित लागत अनुमान - । (नवंबर, 2011 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित) के अनुसार परियोजना में भारत सरकार का योगदान 8920 करोड़ रु. की परियोजना लागत की तुलना में 4690 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी के रूप में है । 4690 करोड़ रु. की वर्तमान सम्पूर्ण अनुमोदित

									पूंजीगत सब्सिडी 2013-14 तक बीसीपीएल को जारी की जा चुकी है । तथापि, बीसीपीएल ने 8920 करोड़ रु. की अनुमोदित परियोजना लागत की तुलना में 9,965 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत का प्रस्ताव किया है । संशोधित परियोजना लागत का अनुमान दिसंबर, 2015 तक समग्र रूप से चालू करने की समय सीमा के आधार पर लगाया गया है । 1045 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी 148.6 करोड़ रु. की इक्विटी और 346.88 करोड़ के ऋण द्वारा वित्तपोषित किए जाने के लिए 1045 करोड़ रु. की परियोजना लागत में अनुमानित वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है ।

									तदनुसार, 549.45 करोड़ रु. की पूंजीगत सब्सिडी वार्षिक योजना, 2016-17 में दर्शाया गया है (प्रस्तावित)। सरकार द्वारा संशोधित लागत अनुमान-।। अनुमोदन के शर्ताधीन है ।
2.	**स्वायत्तशासी निकायों को सहयोग**			**105.99**					
अ.	**स्वायत्त संस्थान**			65.99					
(1)	**सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट)**:								
(i)	सिपेट को योजनागत - अनुदान संबंधी सहायता	i) सिपेट केन्द्रों में शैक्षिक कार्यकलापों और स्किल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्षमताओं का बढ़ाना		57.67		• 2016-17 में 4070 लड़कों और 996 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधाओं का निर्माण • 10 केन्द्रों में 7384 छात्रों के लिए छात्रावासों को सुसज्जित करना । • व्यवसायिक केन्द्र विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों	10 राज्यों में सुसज्जित सुविधाओं के साथ छात्रावास का निर्माण करना । वीटीसी के लिए शैक्षिक ब्लॉक भवन का निर्माण करना । एचएलसी/वीटीसी के लिए उपकरण/मशीने खरीदना । आवर्ती व्यय वहन करना ।	छात्रावास के लिए - निधियों का आवंटन । निधियां जारी करना । निविदा का दिया जाना । ठेकेदार द्वारा कार्य शुरू किया जाना । कार्य पूरा करना तथा सिपेट को सुविधाएं सौंपना । अक्टूबर, 2017 तक कार्य पूरा हो जानेकी आशा है । वीटीसी के लिए भारत सरकार से निधियों	एनबीसीसी/सीपीडब्लयू द्वारा छात्रावासों/भवनों का निर्माण । केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार से समतुल्य राशि प्राप्त करना । केन्द्र के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन ।

						के माध्यम से 3 वर्ष में लगभग 1800 बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण 2015-16 से प्रदान करेगा । • सफल प्रशिक्षार्थियों को कम-से-कम 70% के लिए रोजगार/स्वरोजगार। • 556 छात्रों को एमएससी, एमटेक, बीटेक एवं बीई जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा ।		का आवंटन । सिपेट को निधियां जारी करना । केन्द्र के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन । सिपेट को भूमि का स्थानांतरण । राज्य सरकार से धन की प्राप्ति । केन्द्र की लिए शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण। मार्च, 2019 तक पूरा हो जाने की आशा है ।	
		ii) दो आरएंडडी केन्द्रों में अनुसंधान कार्यकलापों तथा सिपेट केन्द्रों में प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं को बढ़ाना				• एब्सेटॉस फ्री रूफिंग का विकास । • अपशिष्ट प्रबंधन : ई-वेस्ट और ऑटो वेस्ट के लिए मूल्य संवर्द्धन और पुन:चक्रण नीतियां। • रक्षा अनुप्रयोगों के लिए लाइट वेट	प्रौद्योगिकी और उत्पाद सिमुलेशन (एआरएसटीपीएस) मौजूदा आरएंडडी इकाई के लिए एडवांस्ड रिसर्च स्कूल, चेन्नई में कार्य के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं का सृजन	भारत सरकार से धन का आवंटन सिपेट के लिए धन जारी करना। प्रायोजित परियोजनाओं को पुरस्कार। मशीनरी की खरीद के लिए निविदा। निविदा देना । आपूर्तिकर्ता से मशीनरी की आपूर्ति ।	अनुसंधान का परिणाम निश्चित नहीं हो सकता । आपूर्तिकर्ता से मशीनों की समय पर आपूर्ति।

						हनिकॉम्ब स्ट्रक्चर। • ऊर्जा सुरक्षा-फ्यूल सेल, सोलर सेल : एक निरंतर ऊर्जा स्त्रोत के लिए समाधान । • कोटिंग्स एंड अधोसीव्स : नेवल अनुप्रयोगों के लिए बायोऑरिजन और उच्च निष्पादन का युग्मनित करना । • फ्लैक्सी-पॉलिमर इलेक्ट्रॉनिक्स (बायोसेंसर्स) : एक नवोन्मेषाणात्मक स्वास्थ्य देख-रेख प्रौद्योगिकी । • खराब होने वाले माल की पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडिबल सामग्री । • डिजाइन और चिकित्सा निगरानी प्रणालियों और उत्पादों 3 डी प्रिंटिंग	भुवनेश्वर में पॉलिमेरिक सामग्री में एडवांस्ड रिसर्च के लिए मौजूदा आरएंडडी यूनिट के लिए प्रयोगशाला (एलएआरपीएम) सुविधाओं का सृजन। उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं समृद्ध बनाने के लिए मशीने/उपकरण खरीदना । पीडीएस-गुड़गांव में सम्मेलन कक्ष, बातचीत हॉल, परियोजना परामर्श सेल, मानव संसाधन सेल और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी / संगोष्ठी सेल सुविधाओं के संदर्भ में वीडियो कांफ्रेंस सुविधा	मशीनों के एकीकरण/स्थापना। 31 मार्च, 2017 तक पूरा होने की उम्मीद ।	

						तकनीक का उपयोग का विकास। • उच्च गुणवत्ता माइक्रोफ्लूडिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकास। • चरम मौसम परिस्थितियों के अंतर्गत मरीन और एयरोस्पेस उत्पादों के परिमित तत्व विश्लेषण और सिमूलेशन। • सशक्त रूप से बॉडेड जीएफआरपी कम्पोजिट्स जॉइंट की प्रोटोटाइपिंग । • 32 प्रायोजित परियोजनाएं औद्योगिक परामर्श ले रही है। • पांच नए विकास मैटेरियल । • 2 पेटेंटों और	स्थापित करना ।		

						डिजाइनों की फाइलिंग । • 40 अनुसंधान कागजात का प्रकाशन । • 2 अनुसंधान सहयोग । • टूलिंग मशीनों को खरीदना । • कैड/कैम/सीएई साफ्टवेयर खरीदना। • प्रोसेसिंग मशीनों को खरीदना । • जांच उपकरणों की खरीद ।			
2.	**इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलोजी (आईपीएफटी)**	पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलोजी को उन्नत करना	0.01*	8.32	-	न्यू जेनरेशन पेस्टीसाइड्स फॉर्मूलेशन तथा बायोसाइंस तथा विश्वलेषणात्मक परियोजनाओं के प्रौद्योगिकी विकास के लिए चल रही आरएंडडी परियोजनाओं को पूरा करने की पूंजीगत			तार्किककरण एवं मूल्यांकन के लिए विधिवत प्रक्रिया अपनाने के बाद नए उपकरणों के साथ मौजूदा उपकरणों का उन्नयन

						सहायता के अंतर्गत वर्तमान परिसम्पत्तियों का उन्नयन तथा नई अवसंरचना का प्रावधान।			
ब.	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**		**0.03**	**40.00**					
1.	**एचओसीएल**	रासायनिक पीएसयू का प्लांट एवं मशीनरी उन्नयन	0.01*	25.00					कॉलम सं. 4 (ii) में दर्शाई गई योजनागत बजटीय सहायता की इंगित राशियां और 2016-17 में उनकी वास्तविक राशियों को जारी करना पीएसयू द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आर्थिक संभाव्यता और पीएसयू द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं/स्कीमों के प्रस्तावों के मूल्यांकन पर निर्भर होगा । तदनुसार, मात्रा डिलिवेरेबल्स और प्रक्रिया संबंधी समय-सीमा 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं/स्कीमों को अंतिम रूप दिए जाने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात
2.	**एचआईएल**		0.01*	15.00					
3.	**एचएफएफ**		0.01*	0.00					

									निर्धारित की जा सकती हैं ।
3.	**रसायन उद्योग का संवर्द्धन**		**0.01**	**6.00**					
1.	**रसायन संवर्द्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस)**	भारतीय रसायन उद्योग के संवर्द्धन के उपाय और राष्ट्रीय रसायन नीति-2015 के अंतर्गत नए कार्यकलापों को शुरू करने के लिए उपाय ।		5.00		एनसीपी के अंतर्गत रसायन की तालिका निर्माण समिति/बोर्ड जंग नियंत्रण ब्यूरो, रसायन सुरक्षा समिति/बोर्ड आदि जैसे किए गए नए उपाय आदि : i. इंडिया केम 2016 ii. विशेष रसायन सम्मेलन iii. अन्य रसायन एवं पेट्रोरसायन सम्मेलन/कार्यशाला iv. निर्माण रसायन v. हरित रसायन vi. रोटरडैम कन्वेंशन vii. स्टॉकहोम कन्वेंशन viii. रसायन सुरक्षा एवं संरक्षा रेटिंग ix. स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा एवं पर्यावरण x. कृषिरसायन xi. जंग-विरोधी xii. जिम्मेदारीपूर्ण देखभाल			

2.	**रसायन हथियार अभिसमय (सीडब्ल्यूसी)**	भारतीय रसायन उद्योग द्वारा सीडब्ल्यूसी समझौतों का अनुपालन	0.01*	1.00		सीडब्ल्यूसी संबंधी 20 (बीस) जागरुकता कार्यशालाएं एवं 6 सीडब्ल्यूसी हेल्थ डेस्क को जारी रखना		देश भर में विभिन्न स्थानों पर 20 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है । पीपीपी मोड में भारतीय रसायन परिषद द्वारा स्थापित सीडब्ल्यूसी हेल्प डेस्क को भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है ।	
4	**पेट्रोरसायन उद्योग का संवर्द्धन**			48.00					
(i)	पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग में नवोन्मेषण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्कीम	पेट्रोरसायन एवं डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा मेधावी नवोन्मेषणों प्रोत्साहित करना		1.00		पॉलीमर मैटेरियल/उत्पाद, प्रोसेसिंग, मशीनरी, पुन:चक्रण/अपशिष्ट प्रबंधन आदि क्षेत्रों में 8 श्रेणियों और 3 उप-श्रेणियों में मेधावी नवोन्मेषणों और अविष्कारों का चयन करना । स्कीम का उद्देश्य नवोन्मेषणात्मक अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान करने वालों को प्रोत्साहित करना है जिससे नए नवोन्मेषणात्मक उत्पादों का विकास, उत्पाद		2016-17 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए आवेदन सिपेट द्वारा 2016 के दौरान नियत समय पर आमंत्रित किए जाएंगे । तत्पश्चात, प्राप्त नामांकनों की जांच और मूल्यांकन तथा समिति द्वारा किए गए अंतिम नामांकनों के लिए विशेषज्ञ समिति तथा पुरस्कार समिति गठित की जाएगी और समिति द्वारा किए अंतिम नामांकनों को सचिव, सीएंडपीसी के	2016-17 के 7वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के कार्यान्वयन के लिए एक करोड़ रु. आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

						पुन:चक्रण में वृद्धि करना, गुणवत्ता मानकों, बेहतर प्लास्टिक प्रबंधन, बेहतर ऊर्जा संरक्षण आदि होगा ।		अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा । अवार्ड स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कृत कार्रवाई की प्रगति को ध्यान में रखते हुए एक करोड़ रु. राशि का अनुदान सिपेट को किश्तों में जारी किए जाएंगे ।	
(ii)	पॉलीमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना	देश में वर्तमान पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को बढ़ाना और पॉलिमर और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को संवर्द्धित करना जिसमें पर्यावरणीय निरंतरता पर बल दिया जाएगा ।		2.00		वर्तमान में, एनसीएल, पुणे, सिपेट, चेन्नई, सिपेट, भुवनेश्वर, आईआईटी, गुवाहाटी, आईआईटी, दिल्ली में विभिन्न मुख्य अनुसंधान संस्थाओं में विभाग इस समय पांच उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना का समर्थन कर रहा है । इन उत्कृष्टता केन्द्रों में चार के लिए विभाग ने 6 करोड़ रु. की पूर्ण अनुदान राशि जारी कर दी है ताकि इन केन्द्रों की स्थापना की जा सके । आईआईटी, दिल्ली के मामले में तृतीय किश्त		परियोजना को शुरू करने की तिथि से लेकर परियोजना को पूरा करने में आमतौर पर 5 वर्ष लग सकते हैं ।	एक उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) के लिए 2 करोड़ रु. ।

						लक्ष्यों के पूरा होने पर जारी की जाएगी । पॉलिमर विज्ञान में समकालीन अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, उद्योग और शैक्षिक संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसे इन उत्कृष्टता केन्द्रों द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभदायक योगदान को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक और नया उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।			
(iii)	समर्पित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना	इस क्षेत्र को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाने तथा अर्थव्यवस्था में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपेक्षित उन्नत अवसंरचना के साथ आवश्यकता		45.00		**<u>चार प्लास्टिक पार्कों के लिए :</u>** असम (तृतीय किश्त) - 14.00 करोड़ रु. ओडिशा (द्वितीय किश्त) - 8.50 करोड़ रु. मध्य प्रदेश (द्वितीय		वर्तमान पंचवर्षीय योजना 2015-16 के दौरान, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क के लिए दूसरी (अंशकालिक भुगतान) किश्त जारी हो जाने की आशा है । तमिलनाडू के लिए पहली किश्त और ओडिशा के लिए दूसरी किश्त (अंश कालिक)	दिसंबर, 2014 में, एसएफसी ने कुल 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी जिनमें वर्तमान चार प्लास्टिक पार्क और छः अतिरिक्त/नए पार्क 12वीं और 13वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के

		आधारित प्लास्टिक पार्क एवं इको सिस्टम की स्थापना एवं सामान्य सुविधाओं में मदद करना ।				किश्त) -14.00 करोड़ रु. तमिलनाडू (प्रथम किश्त) - 8.00 करोड़ रु. कार्यक्रम प्रबंधक- 00.50 करोड़ रु.(@ 9.00 लाख) **कुल - 45.00** करोड़ रु.		और मध्य प्रदेश के लिए दूसरी किश्त 2016-17 के दौरान जारी किए जाने के लिए देय हो जाएंगी । इसके अलावा, असम प्लास्टिक पार्क के लिए तीसरी किश्त भी 2016-17 में जारी किए जाने के लिए देय है । इसके अतिरिक्त, 50 लाख रु. कार्यक्रम प्रबंधक के लिए अपेक्षित है ।	लिए शामिल हैं । कुल 405 करोड़ रु. की लागत वाले इन 10 प्लास्टिक पार्कों के लिए अतिरिक्त निधियन के अनुरोध के लिए विभाग ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया था । इसके अतिरिक्त, राज्यों से प्लास्टिक पार्कों को स्थापित किए जाने की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए, मंत्री (सीएंडएफ) ने सितंबर, 2015 में 8 और प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है । इस पहल से न केवल 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित होने की आशा है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की संभावना है ।

5.	**सचिवालय**		16.87					वेतन और प्रशासनिक व्यय ।	
6.	**भोपाल गैस रिसाव त्रासदी**		25.11					कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस के मुआवजे (अनुग्रह राशि) भुगतान और सचिवालय के व्यय के लिए योजनेत्तर प्रावधान किया गया है ।	
	कुल		**42.04**	**160.00**					

***टोकेन प्रावधान**

अनुबन्ध-II

योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियां 2014-15 और 2015-16

(करोड़ रु. में)

योजना/कार्यक्रम	2014-15 (व्यय)	2015-16 (ब.अ.)	2015-16 (सं.अ.)	लक्षित परिणाम	उपलब्धि
1. मौजूदा पीएसयूज को सहयोग					
i) एचओसीएल	0.00	17.00	0.00	बजट अनुमान 2015-16 में एचओसीएल के लिए आवंटित निधियां 2015-16 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में अभ्यर्पित दी गई थीं । **पूर्व के ऋणों और तत्संबंधी ब्याज के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता और इसके पुनरुद्धार योजना के अनुमोदित न होने को ध्यान में रखते हुए, एचओसीएल को आवंटित निधियां अर्थात सिपेट (15 करोड़ रु.) और सीपीडीएस (2 करोड़ रु.) अन्य स्कीमों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभ्यर्पित दी गई थी ।**	-
ii) एचआईएल	15.00	10.00	10.00	**2014-15** **i)** 4 करोड़ रु. का योजनागत ऋण एचआईएल को (क) कोच्चि इकाई के एंडोसल्फान संयत्र के नवीकरण के द्वारा खर पतवार के नाश के लिए उपयोग में आने वाले बहुआयामी ग्लाइफोसेट (टेक) के विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की	सभी योजनाएं वर्तमान में क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और 2016-17 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है ।

				योजना (ख) कोच्चि इकाई के विद्यमान संयंत्र में उच्च स्वच्छता वाले डिकोफोल को विनिर्मित करने (ग) भटिंडा इकाई में सस्पेंशन कन्सनट्रेट (एससी) फॉर्मूलेशन और (घ) रसायनी यूनिट में समान क्षमता वाले एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर को प्रतिस्थापित करने के लिए दिया गया था । इन स्कीमों के परिणामस्वरूप कंपनी के कारोबार में लगभग 24.50 करोड़ रु. और उपयोगिता व्यय बचत द्वारा वृद्धि होगी । ii) कोच्चि इकाई में 1000 एमटीपीए पेंडीमेथीलीन तकनीक (एक हर्बीसाइड) की स्थापना के लिए कंपनी को 11 करोड़ रु. का योजनागत ऋण दिया गया था । इससे कंपनी के कारोबार में अतिरिक्त 45 करोड़ रु. का योगदान मिलने की आशा है । **2015-16** **i)** फंगीसाइड्स (हेक्साकोन्जोल और टयूबिकोन्जोल) के विनिर्माण के लिए अपनी रसायनी यूनिट में बहुउत्पाद सुविधा स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रु. के योजनागत ऋण का उपयोग करने का कंपनी ने प्रस्ताव किया है । इस सुविधा से कृषि रसायन व्यापार का अधिक विविधीकरण करने और डीडीटी	योजना ऋण को जारी करने के लिए एचआईएल से प्राप्त प्रस्ताव पर विभाग एवं वित्त मंत्रालय में कार्रवाई की जा रही है ।

				राजस्व पर कंपनी की निर्भरता को कम करने में सहायता मिलेगी । व्यापार में 90 करोड़ रु. की वृद्धि इस परियोजना से 100% की क्षमता का उपयोग किए जाने की आशा है । उपरोक्त स्कीमें एचआईएल को कृषि रसायन उत्पादों के विविधिकरण के माध्यम से डीडीटी राजस्व पर इसकी निर्भरता को कम करने और अपनी वित्तीय निष्पादन को बेहतर बनाने में समर्थ होगी ।	
iii) एचएफएल	16.80	5.00	5.00	**2014-15** i) विशेष पीटीएफई अर्थात संशोधित पीटीएफईइ (एमपीटीएफई) के विकास के लिए एचएफएल को 3.60 करोड़ रु. का योजनागत ऋण वर्तमान प्रणाली में संशोधनों के माध्यम से प्रदान किया गया था । एमपीटीएफई में पीटीएफई की अपेक्षा अधिक मार्जिन है और कंपनी को एमपीटीएफई से लगभग 3 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय अर्जित करने की आशा है । ii) 2014-15 में 13.20 करोड़ रु. का योजनागत ऋण नवीनकरण स्कीमों और लघु परियोजना के लिए दिया गया था । इसके परिणामस्वरूप, अधिक मूल्य संवर्द्धित उत्पादों तथा कंपनी के कारोबार में 6 करोड़ रु. का प्रतिवर्ष का योगदान होने की आशा है । लगभग 2-3 करोड़	उत्पादन प्रारंभ हो जाने के पश्चात, कंपनी ने मार्च, 2015 में लभगत 46 लाख रु. का 7.2 एमटी एमपीटीएफई का निर्यात किया । वर्ष 201617 के दौरान 3 करोड़ रु. की आय की आशा है ।

				रु. प्रतिवर्ष की बचत संयंत्रों की बढ़ी हुई कार्यकुशलता और उत्पादकता के कारण होने की आशा है । उपरोक्त स्कीमों से एचएफएल बढ़े हुए कारोबार और लागत में कम हाने के माध्यम से अपने वित्तीय निष्पादन को बेहतर बनाने में सक्षम होगी और इस प्रकार कंपनी का उत्थान करने में सहायता मिलेगी । **2015-16** i) कंपनी ने बिजली के बिल/लागत को कम करने के लिए 800 किलोवाट सोलर विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रु. के योजनागत ऋण को प्रयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.02.2016 जिसमें यह व्यवस्था की गई है, द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निवेश और कार्यशील पूंजीगत ऋणों के विन्डों को बंद किया जाए और सीपीएसयू को बाजार से अथवा बैंकों से ऋण जुटाना चाहिए । विभाग द्वारा एचएफएल को 5 करोड़ रु. के योजनागत ऋण जारी न करने का निर्णय लिया गया है ।	

2. सेन्ट्रल इंस्टीटयूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी	100.85	107.68	107.68	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	31.01.2016 की स्थिति के अनुसार 2014-15 में प्रशिक्षित 42,910 व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 48,161 व्यक्तियों को इसके दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित/प्रशिक्षित किया गया था । सिपेट दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 80,000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के लिए कम्प्यूटर, हार्डवेयर/ साफ्टवेयर, उपकरण आदि की खरीद के साथ-साथ सिविल संरचना के सृजन का कार्य योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जारी रहा ।
3. इंस्टीटयूट ऑफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन्स टेक्नोलाजी	1.68	1.00	1.00	पेस्टिसाइड फार्मूलेशन प्रौद्योगिकी को संवर्द्धित करना	आईपीएफटी कीटनाशक व सीडब्ल्यूसी संबंधी रसायनों के विश्लेषण के लिए आईएसओ/आईईसी - 17025(2005) के अनुसार नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरटीस (एनएबीएल) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला है। आईपीएफटी बॉयोक्षमता, फाइटोटोक्सीसिटी, रेजिड्यूज विश्लेषण और स्थिरता अध्ययनों पर डाटा तैयार करने के लिए अनेक उद्योग प्रायोजित परियोजनाओं का रिकार्ड प्राप्त किया है । आईपीएफटी ने सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए उच्च कृषि शिक्षा, विद्यालय, लोम विश्वविद्यालय, टोगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । आईपीएफटी ने क्रिस बॉयोटैक, कल्याणी और बॉयोटैक अंतर्राष्ट्रीय के साथ एमओयू और सीडीए पर हस्ताक्षर किए । आईपीएफटी विशलेषणात्मक रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीएसी) के लिए इग्नू कार्यक्रम अध्ययन केंद्र जनवरी, 2015 से बन गया है और यह वर्ष 2015-16 में जारी रहा । आईपीएफटी ने तरल कीटनाशक क्लोरफाइरिफस का ठोस डब्ल्यूडीजी फॉर्मूलेशन सफलतापूर्वक

					विकसित किया गया । पेटेन्ट दायर किया गया है । आईपीएफटी ने दो हर्बीसाइड के लिए जल आधारित माइक्रोइमल्सन कॉम्बीनेशन फॉर्मूलेशन सफलतापूर्वक विकसित किए गए । पेटेन्ट दायर करने का कार्य जारी है । आईपीएफटी ने प्लांट एक्सट्रेक्ट से नैनो फार्मूलेशन विकसित किए हैं जो सिंथेटिक पेस्टीसाइड्स के प्रयोग को न्यूनतम कर सकते हैं । प्रयोगशाला की स्थितियों के अंतर्गत फील्ड और ट्रासफर से हेलिकोवरपामिगेरा एवं स्पूडापेट्रा संग्रहीत मानक होमोजीनियस पॉपुलेशन का विकास । आईपीएफटी ने सैनिकों की पोशाक में नैनो-एनकेपसुलेटिड स्प्रएबिल फार्मूलेशन सफलतापूर्वक विकसित किया है । आईपीएफटी को बायो-क्षमता, फाइटोटोक्सोसिटी और कीटनाशक अवशेष विश्लेषण पर आंकड़े तैयार करने के लिए सेंट्रल इंसेक्टीसाइड्स बोर्ड रजिस्ट्रेशन समिति द्वारा प्रमाणित किया गया है । आईपीएफटी ने एशिया और पेसिफिक (आरईएनपीएपी) के लिए कीटनाशक पर काठमांडू, नेपाल में आयोजित क्षेत्रीय नेटवर्क में 'भारत में सयंत्र संरक्षण कार्य-नीति और बायोपेस्टीसाइड्स' नामक एक कंट्री पेपर प्रस्तुत किया । आईपीएफटी ने किसान के खेत स्तर पर कीटनाशकों के सुरक्षित और पर्याप्त प्रयोग के संवर्द्धन के लिए पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं । वर्तमानमें उपलब्ध नीम आधारित फॉर्मूलेशन की तुलना में नीम आधारित वाणिज्यिक व्यवहार्य आर्थिक फॉर्मूलेशन को उच्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है । इस उत्पाद को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के उपयोग के लिए बाजार में लाने के लिए केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड के पास पंजीकरण के लिए डाटा तैयार किया जा रहा है ।

4. असम गैस क्रैकर परियोजना	0.01	0.01	0.01	लपेटकाटा, डिब्रूगढ़ (असम) में पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना	संशोधित लागत अनुमान के अनुसार, परियोजना के लिए भारत सरकार के योगदान के रूप में परियोजना लागत 8920 करोड़ रु. की तुलना में 4690 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी प्रदान की । समय बढ़ने, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव, मूल्य वृद्धि, सांविधिक प्रशुल्क आदि में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, लागत और समय में अधिक वृद्धि हुई है और इसलिए, बीसीपीएल में 8920 करोड़ रु. की अनुमोदित परियोजना लागत की तुलना में 9965 करोड़ रु. की संशोधित परियोजना लागत का प्रस्ताव किया है । संशोधित परियोजना लागत का अनुमान दिसंबर, 2015 तक पूर्ण रूप से प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय-सीमाओं के आधार पर लगाया गया है । 1045 करोड़ रु. की परियोजना लागत में अनुमानित वृद्धि का प्रस्ताव 549.45 करोड़ रु. की पूंजी सब्सिडी, 148.67 करोड़ रु. की इक्विटी और 346.88 करोड़ रु. के ऋण द्वारा वित्त पोषित करने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा । परियोजना को 2 जनवरी, 2016 को शुरू कर दिया गया है ।
5. केमिकल प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस)	3.53	1.90	3.90	संवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप प्रदर्शनी सेमीनार अनुसंधान एवं विकास आदि	रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योगों जिनमें कार्यक्रमों के इंडिया केम श्रृंखलाओं का संगठन, शामिल है, के संवर्द्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रायोजित विभिन्न सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित किए गए हैं ।
6. रासायनिक आयुध समझौता (सीडब्ल्यूसी)	0.87	1.00	1.00	सेमिनार एवं प्रचार के जरिए जागरूकता सृजन और उद्योगों को सुविधा प्रदान करना ।	भारत में 31.12.2015 तक 206 निरीक्षण हुए हैं । भारतीय रसायनिक परिषद (आईसीसी) के सहयोग से पीपीपी मोड में हेल्पडेस्क बड़ोदरा, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता तथा दिल्ली में स्थापित किए गए हैं, ताकि सीडब्ल्यूसी के अधीन

					बाध्यताओं को रसायन उद्योग अनुपालन सुनिश्चित कर सकें । रसायन एवं पेट्रोरसायन के लिए आंकड़ो का ऑनलाइन प्रवाह तथा घोषणाकर्ता द्वारा सीडब्ल्यूसी रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की प्रणाली एनआईसी द्वारा क्रियान्निवित की जा रही है । संभावित गतिविधियों के लिए वार्षिक घोषणा (एडीएए) - 2016, सितंबर, 2015 में दर्ज किया गया था एवं द्वितीय घोषणा अर्थात 2015 के लिए पूर्व गतिविधियों की वार्षिक घोषणा (एडीपीए) में पालन करने और इसे समय पर भेजने की योजना बनाई गई थी ।
7.पेटोरसायन की अन्य नई योजनाएं	12.17	58.41	17.50	तीन योजनाएं अर्थात (i) पेट्रो-रसायन और डाऊनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी नवोन्मेष के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार; (ii) पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) की स्थापना तथा (iii)प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को क्रियान्वित करना ।	2014-15 के लिए सिपेट को 264 नामांकन प्राप्त हुए थे । पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर, 17 'विजेता' एवं 14 'उप-विजेताओं' को 2015-16 के लिए चयन किया गया । पुरस्कार प्रदान करने के लिए समारोह 20.01.2016 को दिल्ली में आयोजित किया । भारत सरकार परियोजना को अधिकतम कुल लागत का 50% की सीमा तक 6 करोड़ रु. की कीमत तक की अधिकतम वित्तीय सहायता तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान करती है । सीओई, पुणे, चेन्नई एवं भुवनेश्वर को 6 करोड़ रु. की भारत सरकार की अनुदान सहायता जारी कर दी गई है । इस स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 के लिए 4 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है । चुनिंदा सीओई के भौतिक एवं वित्तीय कार्यनिष्पदन की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, आईआईटी, गुवाहाटी को नवंबर, 2015 को 2 करोड़ रु. की तीसरी किश्त जारी की गई है । स्कीम स्टीयरिंग समिति(एसएससी) ने पूर्व में आंध्र पद्रेश, ओडीशा एवं असम राज्यों से प्राप्त प्लास्टिक पार्क की

					स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया । विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए विशेष पर्पज व्हीकल (एसपीवी)/महत्वपूर्ण प्रमोटर्स को वर्ष 2013-14 में अनुदान सहायता के रूप में 8 करोड़ रु. की प्रथम किश्त जारी कर दी । वर्ष 2015 में असम को प्लास्टिक पार्क के लिए 14 करोड़ रु. की दूसरी किश्त जारी की गई । तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत किए जाने के बाद तमिलनाडु में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए 30.10.2015 को एसएससी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया । विभाग ने सूक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 12वीं एवं 13वीं योजना अवधि के दौरान चार वर्तमान प्लास्टिक पार्कों (एसएससी द्वारा अनुमोदित) एवं 6 अतिरिक्त पार्क सहित 10 प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की मांग के प्रस्ताव को रखा है । इसके अलावा, राज्यों से प्राप्त अतिरिक्त मांग पर विचार करते हुए, माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) ने सितम्बर, 2015 में 8 और प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया (जोकि पूर्व में अनुमोदित 10 प्लास्टिक पार्कों के अतिरिक्त है) । यह पहल न केवल 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे ।
8.पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान	*	*	*	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए	पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए
कुल	**151.38**	**188.00**	**141.89**		

*पेटोरसायन की अन्य योजनाएं/सिपेट/प्लास्टिक पार्क में पहले से शामिल